

सत्यमेव जयते


वित्त लेखे

(खण्ड - I)

2017-18



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वित्त लेखे

(खण्ड-I)

2017-18

झारखण्ड सरकार

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
खण्ड-I		
● विषय-सूची	...	(i) - (iii)
● भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र	...	(iv) - (vi)
● वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	...	(vii) - (xi)
1 : वित्तीय स्थिति का विवरण	...	1 - 2
2 : प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण अनुबंध क - रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	...	3 - 8
3 : प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	...	9 - 13
4 : व्यय का विवरण (समेकित निधि)	...	14 - 19
5 : प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	...	20 - 24
6 : उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण	...	25 - 28
7 : सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण	...	29 - 37
8 : सरकार के निवेशों का विवरण	...	38
9 : सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण	...	39
10 : सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण	...	40 - 41
11 : दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण	...	42 - 43
12 : राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण	...	44 - 47
13 : समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	...	48 - 50
● लेखे पर टिप्पणियाँ	...	51 - 76

खण्ड-II

भाग I

14	: लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	...	77 - 137
15	: लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	...	138 - 208
16	: लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण	...	209 - 345
17	: उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण	...	346 - 363
18	: सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण	...	364 - 389
19	: सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	...	390 - 424
20	: सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण	...	425
21	: आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण	...	426 - 436
22	: कर्णांकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण	...	437

भाग II

I	: वेतन पर तुलनात्मक व्यय	...	438 - 447
II	: सबसिडी पर तुलनात्मक व्यय	...	448 - 485
III	: राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायक/सहायता अनुदान (संस्थावार और योजनावार)	...	486 - 523
IV	: बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं का विवरण	...	524 - 525
V	: योजनागत योजना पर व्यय क- केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजनागत योजना) ख- राज्य योजनागत योजना	...	526 - 543
VI	: राज्य में क्रियान्वित करने वाले अभिकरणों को केन्द्रीय योजना के लिए निधियों का सीधा अन्तरण (राज्य बजट से बाह्य निधियां) (अअंकेक्षित आंकड़े)	...	544 - 549
VII	: शेषों की स्वीकार्यता एवं मिलान (जैसा कि विवरण संख्या 18 एवं 21 में दर्शाया गया है)	...	550 - 555
VIII	: सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	...	556 - 560
IX	: सरकार की वचनबद्धता-अधूरे पूँजीगत कार्यों की सूची	...	561 - 636

X	:	पृथक किये गए वेतन एवं गैर-वेतन मद के साथ अनुरक्षण व्यय	...	637 - 641
XI	:	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णयों अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं	...	642 - 643
XII	:	सरकार की वचनबद्ध देयताएँ	...	644
XIII	:	राज्य का पुनर्गठन-वैसे मदों जिनके शेषों का बंटवारा राज्यों के बीच/मध्य नहीं हुआ है	...	645 - 650

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड-1 में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड-11 लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक् संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 10 (ii), 17(ख) (i), 17 (ग)(i) तथा 19), व्याख्यात्मक टिप्पणियों विवरण संख्या 5 का (7) एवं विवरण संख्या 14 का व्याख्यात्मक टिप्पणी (111) और परिशिष्टों को (V, VIII (i), VIII (ii), IX तथा X) झारखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक् उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2017-18 वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले झारखण्ड सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

अतिमहत्वपूर्ण बातें

मैं निम्नलिखित अर्थपूर्ण विषयों / मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि इन लेखाओं की शुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं तथा लोक वित्त पर विधायी नियंत्रण बनाए रखते हैं।

1. राज्य के सत्रह विभागों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 335 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध सरकारी लेखों से ₹ 1,209 करोड़ का आहरण किया, लेकिन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले ₹ 602 करोड़ की राशि के 307 विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को जमा नहीं किया। इस संबंध में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ₹ 602 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2017-18 में व्यय का संभावित अधिकथन है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 तक कुल ₹ 4,739 करोड़ की राशि का 18,261 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र, 31 मार्च 2018 तक बकाया था। आहरित अग्रिमों, जिसे लेखाबद्ध नहीं किया गया, अपव्यय / दुर्विनियोजन / भ्रष्टाचार आदि की संभावना को बढ़ाता है।


2. वर्ष 2017-18 के दौरान उन्नीस विभागों द्वारा प्रदान किये गये सहायक अनुदान के विरुद्ध ₹ 17,481 करोड़ की राशि का बकाया 5,019 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इस संबंध में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि ₹ 17,481 करोड़ की राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था।

इसके अतिरिक्त 16,372 उपयोगिता प्रमाणपत्रों से संबंधित ₹ 21,430 करोड़ की राशि वर्ष 2016-17 तक प्रस्तुति हेतु 31 मार्च 2018 को बकाया था। इस प्रकार मार्च 2018 तक ₹ 38,912 करोड़ की राशि का कुल 21,391 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुति के लिए बकाया था।

3. सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ऋणों के परिशोधन हेतु निक्षेप निधि में ₹ 334.13 करोड़ का अंशदान नहीं दिया गया, जो भविष्य के वर्षों में चालू वर्ष के देयता को अस्थगित कर दिया गया, जो राजकोषीय घाटे की अनुकूलता को उस सीमा तक प्रभावित करता है।

4. राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) एक ब्याज देय निधि है तथा ब्याज भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के पास है। योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सरकार ने ₹ 1,259.21 करोड़ (1 अप्रैल 2017 तक) के एस.डी.आर.एफ. शेष का अनिवार्य निवेश नहीं किया। इसके अलावे, वर्ष 2017-18 (8.08 प्रतिशत की दर से - अधिविकर्ष पर औसत ब्याज दर) के लिए ₹ 101.74 करोड़ के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया था। फलतः, राज्य सरकार का राजस्व व्यय ₹ 101.74 करोड़ न्यूनकथित रहा है।

दिनांक : 31 जुलाई, 2019
नई दिल्ली


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विहंगावलोकन

1. झारखण्ड राज्य के वित्त लेखे, वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा, राजस्व तथा पूँजी लेखे पर आधारित वित्तीय परिणामों के साथ, लोक ऋण एवं दायित्वों तथा परिसम्पत्तियों का लेखा जैसा कि लेखे में दर्ज शेषों से निकाला गया, को प्रस्तुत करता है।
2. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

भाग I : समेकित निधि : इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड्स, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई सभी राशियाँ सम्मिलित हैं। विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान में बताए गए तरीकों को छोड़कर इस निधि से किसी भी राशि का विनियोग नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट वर्गों के व्यय (उदाहरणस्वरूप संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभार स्वरूप होते हैं (प्रभारित व्यय) जिस पर विधायिका के मत की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधायिका के द्वारा मत प्राप्त हैं। समेकित निधि में दो अनुभाग समाविष्ट हैं : राजस्व तथा पूँजी (लोक ऋण, उधार तथा अग्रिम सहित)। इन्हें पुनः 'प्राप्तियाँ' तथा 'व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन खण्डों में विभाजित किया गया, जैसे 'कर राजस्व', 'करेतर राजस्व' तथा 'सहायता अनुदान तथा अंशदान'। इन तीन खण्डों को पुनः 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएँ' इत्यादि जैसे उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। पूँजी प्राप्तियाँ अनुभाग किसी खण्ड या उप-खण्ड में विभाजित नहीं है। राजस्व व्यय अनुभाग को चार खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ' एवं 'सहायता अनुदान तथा अंशदान' में विभाजित किया गया है। राजस्व व्यय अनुभाग के इन खण्डों को पुनः 'राज्य के अंग', 'शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति' इत्यादि जैसे उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। पूँजी व्यय अनुभाग को आठ खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ', 'लोक ऋण', 'उधार तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय परिशोधन' एवं 'आकस्मिकता निधि को अंतरण' में उप विभाजित किया गया है।

भाग II : आकस्मिकता निधि : विधायिका, विधिसम्मत एक आकस्मिकता निधि, जो कि अग्रदाय प्रकृति की है, की स्थापना कर इसे राज्यपाल के अधीन निष्पादन हेतु इस अधिकार के साथ रखा जाता है कि वे जैसे आकस्मिक व्यय से निपटने हेतु अग्रिम प्रदान कर सकें, जिस व्यय को राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिकृत किया जाना लम्बित है। राज्य के समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे द्वारा इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। 2017-18 के लिए झारखण्ड सरकार के आकस्मिकता निधि ₹ 5,00.00 करोड़ की है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन, जिसके लिए सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा के रूप में दर्ज किया जाता है। लोक लेखे में वापसियों जैसे लघु बचत तथा भविष्य निधि, जमा (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याजदेय तथा अब्याजदेय), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (इनमें से दोनों ट्रांजिट शीर्ष, अंतिम रूप से दर्ज होने तक) सम्मिलित है। सरकार को उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी लोक लेखे के अंतर्गत शामिल है। लोक लेखे में छह खण्ड, जैसे 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध', 'प्रेषण' एवं 'रोकड़ शेष' होते हैं। इन खण्डों को पुनः उप-खण्डों में विभाजित किया गया है। लोक लेखा, विधायिका के मतों के अधीन नहीं होता है।


3. सरकारी लेखे एक छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे मुख्य शीर्ष (चार अंकों का), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंकों का), लघु शीर्ष (तीन अंकों का), उप शीर्ष (दो अंकों का), विस्तृत शीर्ष (दो या तीन अंकों का) तथा वस्तु शीर्ष (दो अंकों का)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य प्रकृति को, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य प्रकृति को, लघु शीर्ष कार्यक्रम/ गतिविधियों को, उप शीर्ष योजनाओं को, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को तथा वस्तु शीर्ष उद्देश्यों / व्यय की वस्तु इकाई को प्रस्तुत करता है।
4. लेखा में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष होते हैं जो नीचे दिए गए कोडिंग पैटर्न के अनुसार हैं (मार्च 2018 तक संशोधित मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ

4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, उधार तथा अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

- सामान्यतः वित्त लेखे (कुछ मामलों को छोड़ कर), लघु शीर्ष तक के लेनदेनों को दर्शाता है। वित्त लेखे निवल स्तर पर आकड़ों को दर्शाता है, उदाहरण स्वरूप वापसियों को व्यय से घटाकर लेखाकरण किया जाता है। विनियोग लेखे तथा विधायिका को प्रस्तुत किए जाने वाले अनुदानों के लिए माँग, जहाँ व्यय को सकल स्तर पर दर्शाया जाता है से भिन्न रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।
- सरकारी लेखे की संरचना का एक चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखे की संरचना



ख. वित्त लेखे में क्या अन्तर्विष्ट है

वित्त लेखे को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे की मार्गदर्शिका, 13 विवरणी जो राज्य सरकार के चालु वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति तथा लेनदेनों का संक्षिप्त ब्यौरा एवं लेखे पर टिप्पणियाँ का एक परिशिष्ट दर्शाया जाता है। **खण्ड I** के 13 विवरणों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

- वित्तीय स्थिति का विवरण** : राज्य सरकार के परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की समेकित आंकड़े, जैसा कि वर्ष के अन्त में था, तथा विगत वर्ष के अन्त की स्थिति के साथ तुलनात्मक रूप में इस विवरण में दर्शाया जाता है।
- प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण** : इस विवरण में, तीनों भागों यथानामित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत जिसमें की सरकारी लेखे रखे जाते हैं, वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाता

है। इसके अतिरिक्त इस विवरण में एक अनुबंध जो कि सरकार के लेखा शेषों (निवेश सहित) को दर्शाता है, सम्मिलित है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय स्थिति को विस्तृत रूप में दर्शाता है।

3. **प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राज्य सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों सरकार द्वारा दिए गए उधारों की वापसियाँ को दर्शाता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II में विस्तृत विवरण सं. 14, 17 तथा 18 के सदृश है।
4. **व्यय का विवरण (समेकित निधि):** वित्त लेखे के सामान्यतः लघु शीर्ष स्तर तक के प्रस्तुतीकरण से भिन्न इस विवरण में व्यय की प्रकृति तथा गतिविधि (व्यय का उद्देश्य) का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। यह विवरण खण्ड II के विवरण सं. 15, 16, 17 एवं 18 के सदृश है।
5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण :** यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 16 के सदृश है।
6. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण :** सरकार के उधार में, सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त 'कर्जे तथा अग्रिम' शामिल हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ' तथा 'जमा' सम्मिलित हैं। इस विवरण में उधार-शोधन पर एक टिप्पणी सम्मिलित है तथा यह खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 17 के सदृश है।
7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण:** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे कि सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकारों एवं व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवकों सहित) को दिए गए सभी उधार तथा अग्रिमों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 18 के सदृश है।
8. **सरकार के निवेशों का विवरण :** यह विवरण सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी (Equity capital) में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 19 के सदृश है।
9. **सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों के लिए मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर दिए गए गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत करता है। यह विवरण भाग II के विस्तृत विवरण सं. 20 के सदृश है।
10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण :** राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के सहायता अनुदान प्राप्तकर्ताओं जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तियों को दिए गए सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III में प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।
11. **दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण :** यह विवरण वित्त लेखे में दर्शाए गए निवल आँकड़ों को, विनियोग लेखे में दर्शाए गए सकल आँकड़ों के साथ होने वाले अनुरूपता के लिए सहायता करता है।
12. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा उपयोग का विवरण:** यह विवरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत ही चुकाया जाना चाहिए, जबकि वर्ष के पूंजीगत व्यय को राजस्व अधिक्व, लोक लेखे में निवल जमा शेष, वर्ष के आरंभ में रोकड़ शेष तथा उधार के द्वारा किया जाना चाहिए।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश :** यह विवरण लेखे की शुद्धता को साबित करने में सहायता करता है। यह विवरण, खण्ड II के विस्तृत विवरण सं. 14,15,16,17,18 तथा 21 के सदृश है।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग समाहित हैं-भाग I में 9 विस्तृत विवरण तथा भाग II में 13 परिशिष्ट हैं
14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण सं. 3 के सदृश है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, जो खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 4 के सदृश है, राज्य सरकार के योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं) तथा गैर-योजना को दर्शाता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों को पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
16. **लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण :** यह विवरण जो खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 5 के सदृश है, योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनागत योजनाओं) तथा गैर-योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्ययों (वर्ष के दौरान तथा समेकित रूप में) प्रदर्शित करता है। प्रभारित एवं मतदेय व्ययों के पृथक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट योजनाओं के मामलों में लघु शीर्ष के स्तर तक के पूंजीगत व्यय को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किए जाने हेतु ये विवरण उपशीर्ष के स्तर तक को दर्शाता है।

17. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण, जो कि खण्ड I के संक्षिप्त विवरण सं. 6 के सदृश है, राज्य सरकार के द्वारा उगाहे गए सभी तरह के ऋणों (बाजार ऋण, बॉन्ड्स, केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऋण, वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम का विस्तृत विवरण दर्शाता है। यह विवरण ऋण से संबंधित सूचनाओं को तीन स्तरों में प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत ऋण का विस्तृत विवरण (ख) मैचुरिटी प्रोफाइल्स, तथा विभिन्न वर्षों में प्रत्येक कर्ज के विरुद्ध भुगतये राशि तथा (ग) बकाया ऋणों का ब्याज दर प्रोफाइल एवं बाजार कर्ज दर्शाये अनुबंध।
18. **सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और पेशगियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण खण्ड I में संक्षिप्त विवरण सं. 7 के सदृश है।
19. **सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण निकाय-वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष-वार विस्तृत निवेश, विवरण सं. 16 तथा 19 के बीच की विसंगति, यदि है, को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I के विवरण सं. 8 के सदृश है।
20. **सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण निकाय-वार सरकारी गारंटियों को विस्तार से दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I के विवरण सं. 9 के सदृश है।
21. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण :** यह विवरण आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लघुशीर्ष स्तर पर अपरिशोधित राशियों का ब्यौरा, वर्ष के दौरान लोक लेखे के लेनदेनों की समेकित स्थिति, तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेषों को दर्शाता है।
22. **कर्णांकित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से विस्तृत निवेश को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में, 13 परिशिष्ट समाहित है जिसमें, विभिन्न मदों, वेतन, सबसिडी, सहायक अनुदान, बाह्य पोषित परियोजनाएँ, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं के संबंध में योजनावार तथा राज्य योजनागत योजनाओं इत्यादि पर व्यय दर्शाया गया है। यह विस्तृत विवरण लेखे के उप शीर्ष स्तर या उससे नीचे (लघु शीर्ष स्तर से नीचे) तक प्रस्तुत किया जाता है जिसके कारण सामान्यतः वित्त लेखे में उसे नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I या II में 'विषय-सूची' पर दर्शाया जाता है। यह विवरण परिशिष्टों के साथ पठित होने पर राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

ग सुलभ गणक

यह अनुभाग खण्ड I में दर्शाए गए संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में दर्शाए गए विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों से जोड़ता है। (वैसे परिशिष्ट जिनका सीधा सम्पर्क संक्षिप्त विवरणों से नहीं है, उन्हें नीचे नहीं दर्शाया गया है)

मानक	संक्षिप्त विवरण (खण्ड I)	विस्तृत विवरण (खण्ड II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित), पूँजी प्राप्तियाँ	2, 3	14	-
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (सब्सिडी)
सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान	2, 10	-	III (सहायक अनुदान)
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	-
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम	1, 2, 4, 7, 12, 13	18	-
कर्ज की स्थिति/उधार	1, 2, 4, 6, 12, 13	17	-
कम्पनियों/निगमों आदि में सरकार का निवेश	8	16, 19	-
रोकड़	1, 2, 12, 13	-	-
लोक लेखा का शेष तथा उसमें किए गए निवेश	1, 2, 6, 7, 12, 13	21, 22	-
गारंटी	9	20	-
योजनाएं	-	-	IV (बाह्य संपोषित परियोजनाएं), V (योजनागत योजना व्यय) VI (सीधा अन्तरण)

घ. आवधिक समायोजन तथा खाता समायोजन:

लेखे में दर्शाए गए कुछ लेनदेन रोकड़ के वास्तविक गतिविधि को, दर्ज किए जाने के समय सम्मिलित नहीं किया जाता है। इनमें से कुछ लेन देन लेखा प्रेषण इकाईयों (कोषागार, प्रमंडलों इत्यादि) के द्वारा शामिल किया जाता है। उदाहरण स्वरूप लेनदेनों में सम्मिलित सभी प्रकार की कटौतियों का समायोजन (सा.भ.नि., दिए गए अग्रिमों की वापसियाँ इत्यादि) कार्य प्रकृति के मुख्य शीर्षों को नामे (संबंधित विभाग के परिप्रेक्ष्य में) के द्वारा दर्ज कर वेतन से राजस्व/उधार/लोक लेखा को खाता समायोजन के द्वारा किया जाता है। उसी तरह 'शून्य' विपत्रों जहाँ, राशियों को समेकित निधि तथा लोक लेखे के बीच स्थानान्तरित किया जाता है, को लेखा प्रेषण इकाईयों के स्तर पर गैर रोकड़ लेनदेनों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार/महालेखाकर (ले. एवं हक.) के द्वारा राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजनों तथा खाता समायोजनों को क्रियान्वित किया जाता है, जिसका विस्तृत विवरण लेखे पर टिप्पणियों के परिशिष्ट(खण्ड I) तथा तत्सम्बन्धी विवरणों के पाद टिप्पणियों में दर्शाया जाता है।

आवधिक समायोजनों तथा खाता समायोजनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

1. लोक लेखे में निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन, समेकित निधि को 'नामे', उदाहरण स्वरूप राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि इत्यादि के द्वारा किया जाता है।
2. लोक लेखे में जमा शीर्षों का लेखा को जमा, समेकित निधि को नामे के द्वारा किया जाता है।
3. सामान्य भविष्य निधि (सा.भ.नि.) तथा राज्य सरकार सामुहिक बीमा योजना, जहाँ ब्याज को मुख्य शीर्ष '2049- ब्याज' को नामे तथा मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधि को जमा के द्वारा ब्याज का वार्षिक समायोजन किया जाता है।
4. केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुशंसाओं पर आधारित भारत सरकार के योजनाओं के अन्तर्गत कर्ज माफी का समायोजन किया जाता है। उन समायोजनों (जहाँ केन्द्रीय ऋणों को मुख्य शीर्ष 0075- विविध सामान्य सेवाएँ को जमा तथा मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्रीय सरकार के द्वारा ऋण तथा अग्रिम को कोन्ट्रा इन्ट्री के द्वारा बट्टे खाते में डाला जाता है), का प्रभाव राजस्व प्राप्तियों तथा लोक ऋण, दोनों शीर्षों पर पड़ता है।

ड. पूर्णांकन :

पूर्णांकित करने के कारण ₹ 0.01 लाख/करोड़ का अन्तर है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

परिसम्पत्तियां ¹	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2018 तक
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
(₹ करोड़ में)				
रोकड़				
(i) कोषागारों में रोकड़ और स्थानीय प्रेषण		21	0.00	0.00
(ii) विभागीय शेष		21	6.37	37.90
(iii) स्थायी अग्रदाय		21	0.13	0.13
(iv) रोकड़ शेष निवेश		21	14,39.09	3,54.56
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (यदि शेष जमा हो तो घटाव चिन्ह दें।)	परिच्छेद 2 (v)	21	5,02.26	(-)2,42.16
(vi) उद्धिष्ट निधियों के निवेश ²		22	0.00	0.00
पूँजीगत व्यय				
(i) कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	परिच्छेद 3 (vi)	8,16,19	1,83.11	2,75.15
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		5,16	5,48,50.87	6,66,86.45
(iii) अन्तर्राज्यीय परिशोधन			0.00	0.00
आकस्मिकता निधि (अग्रतिपूरित)	परिच्छेद 3 (x)	21	0.00	0.00
कर्ज और पेशगियां	परिच्छेद 3 (v)	7,18	1,74,82.71	1,92,91.97
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		21	4.94	5.78
उचंत और विविध शेष ³		21	0.00	1,32.14
प्रेषण शेष	परिच्छेद 3 (ix)	12, 21	52.80	0.00
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य			0.00	0.00
जोड़			7,45,22.28	8,65,41.92

¹ परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकट्ठे हैं। कृपया अनुभाग “लेखे पर टिप्पणियाँ” का नोट 1(ii) भी देखें।

² उद्धिष्ट निधियों में से किए गए कम्पनियों आदि के हिस्सा पूँजी में किए गए निवेश को पूँजीगत व्यय में न दर्शा कर “ उद्धिष्ट निधियों से किए गए निवेशों” के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

³ इस विवरणी में लाइन मद “उचंत एवं विविध शेष” में “रोकड़ शेष निवेश लेखा” को शामिल न कर उसे उपर अलग से दिखाया गया है। यद्यपि यह इसी खण्ड में इन लेखाओं में अन्यत्र शामिल किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-क्रमांत

दायित्व	संदर्भ (क्रम संख्या)		31 मार्च 2017 तक	31 मार्च 2018 तक
	लेखे पर टिप्पणियाँ	विवरण		
(₹ करोड़ में)				
उधार (लोक ऋण)				
(i) आंतरिक ऋण		6, 17	4,86,82.31	5,37,99.09
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
(क) योजनेतर कर्ज	परिच्छेद 3 (xiv)	6, 17	19.37	17.57
(ख) राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	परिच्छेद 3 (xiv)	6, 17	21,42.91	22,15.29
(iii) अन्तर्राज्यीय परिशोधन			0.00	0.00
आकस्मिकता निधि (स्थाई काया)	परिच्छेद 3 (x)	21	5,00.00	5,00.00
लोक लेखा का दायित्व				
(i) लघु बचत, भविष्य निधियां आदि		12, 17, 21	10,75.67	11,42.18
(ii) जमा	परिच्छेद 3 (viii) (क)	12, 17, 21	1,36,47.49	1,83,69.87
(iii) आरक्षित निधियां	परिच्छेद 3 (viii)	12, 21, 22	12,59.21	15,51.04
	(क) (घ)			
(iv) प्रेषण शेष		13	0.00	39.67
(v) उचंत और विविध शेष ⁴	परिच्छेद 3 (ix)	12, 21	92.07	0.00
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य ⁵			71,03.25	89,07.21
जोड़			7,45,22.28	8,65,41.92

⁴ उचंत एवं विविध शेष में रोकड़ शेष निवेश लेखा शामिल नहीं है।

⁵ प्राप्तियों पर व्यय अथवा व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से भिन्न है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण

	प्राप्तियाँ		संवितरण		
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	
भाग-I समेकित निधि					
अनुभाग - अ राजस्व					
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
राजस्व प्राप्तियाँ (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)			राजस्व व्यय (संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)		
राज्य का निजी राजस्व	2,02,00.11	1,86,50.66			
(i) कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया) (संदर्भ- विवरण 3 एवं 14)	1,23,53.44	1,32,99.25	वेतन ¹ (संदर्भ-विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट-I)	1,11,74.51	88,88.99
(ii) करेतर राजस्व (संदर्भ- विवरण 3 एवं 14)	78,46.67	53,51.41	सहायक अनुदान ² (संदर्भ-विवरण 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट-III)	2,07,13.99	2,02,27.03
ब्याज प्राप्तियाँ (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	1,68.88	1,21.34	सब्सिडी (संदर्भ-परिशिष्ट-II)	14,39.76	18,58.71
अन्य (संदर्भ- विवरण 3)	76,77.79	52,30.07	सामान्य सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4 एवं 15)	1,19,80.10	94,88.04
			ब्याज की अदयगी तथा ऋण सेवा (संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	46,61.68	41,72.25
			पेंशन (संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	59,13.24	41,35.29
			अन्य- (संदर्भ-विवरण 4-ख)	14,05.18	11,80.50

¹ वेतन, सब्सिडी एवं सहायता अनुदान के आंकड़ों का एक समेकित आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सभी खण्डों को जोड़ दिया जाता है। इस विवरणों में "सामाजिक", "सामान्य" एवं "आर्थिक" सेवाओं में दिए गए व्यय के आंकड़ों में वेतन, आर्थिक सहायता एवं सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित नहीं है। (पाद टिप्पणी-2 में स्पष्ट किया गया है।)

² सरकार द्वारा सहायता अनुदान संविधाक नियमों, कंपनियों, स्वायत्त निकायों, आदि को दिये जाते हैं जिन्हें एक लाइन मद में ऊपर दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं करों, शुल्कों का समनुदेशन से भिन्न है तथा एक अलग लाइन मद "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन" के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमशः

	प्राप्तियाँ		संवितरण		
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	
	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)		
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क, एवं 15)	45,85.75	36,13.32
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	2,11,43.63	1,91,41.92	आर्थिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)	10,57.96	10,12.95
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	1,14,12.29	92,61.35	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 15)	0.00	0.00
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	5,27,56.03	4,70,53.93	कुल राजस्व व्यय	5,09,52.07	4,50,89.04
राजस्व घाटा	0.00	0.00	राजस्व अधिशेष	18,03.96	19,64.89
			अनुभाग-ब : पूंजीगत		
पूंजीगत प्राप्तियाँ (संदर्भ-विवरण 3 एवं 14)	25.09	0.00	पूंजीगत व्यय ³ (संदर्भ-विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)		
			सामान्य सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)	8,07.12	5,89.61
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)	15,28.06	15,32.02
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क एवं 16)	96,17.53	87,39.05
कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ	25.09	0.00	कुल पूंजीगत व्यय	1,19,52.71	1,08,60.68
कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी (संदर्भ-विवरण 3, 7 एवं 18)	42.41	38.45	संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ (संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)		
			सामाजिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)	31.70	46.88
			आर्थिक सेवाएं (संदर्भ-विवरण 4-क, 7 एवं 18)	17,64.38	12,35.72
			अन्य (संदर्भ-विवरण 7)	55.59	52.46
कुल कर्जे एवं पेशगियाँ की वापसी	42.41	38.45	कुल संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ	18,51.67	13,35.06

³ वर्ष 2016-17 के लिए पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत व्यय में 'सहायक अनुदान' के रूप में ₹1,05.00 करोड़ शामिल है। यह सरकार के राजस्व जमा से काम आँका जायगा। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 'वेतन' व्यय के रूप में मुख्य शीर्षों '4515' एवं '5054' के अन्तर्गत ₹ 37.91 करोड़ एवं ₹ 46.36 करोड़ शामिल है।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमशः

	प्राप्तियाँ		संवितरण		
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	
	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)		
लोक ऋण प्राप्तियां (संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)			लोक ऋण का पुनर्भुगतान (संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)		
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधियां आदि) (संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)	79,05.24	68,47.13	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधियां आदि) (संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)	27,88.46	19,20.39
भारत सरकार (संदर्भ-विवरण 3, 6 एवं 17)	2,31.61	2,34.29	भारत सरकार से कर्ज (संदर्भ-विवरण 4-क, 6 एवं 17)	1,61.04	1,57.50
कुल लोक ऋण प्राप्तियां	81,36.85	70,81.42	कुल लोक ऋण का पुनर्भुगमान	29,49.50	20,77.89
अंतर्राज्यीय परिशोधन का निवल	0.00	0.00	अंतर्राज्यीय परिशोधन का निवल	0.00	0.00
कुल पूंजीगत प्राप्तियां	81,79.26	71,19.87	कुल पूंजीगत व्यय	1,67,53.88	1,42,73.63
कुल प्राप्तियां समेकित निधि (संदर्भ-विवरण 3)	6,09,60.38	5,41,73.80	कुल व्यय समेकित निधि (संदर्भ-विवरण 4)	6,77,05.95	5,93,62.67
समेकित निधि में कमी	67,45.57	51,88.87	समेकित निधि में अधिशेष	0.00	0.00
भाग - II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (संदर्भ- विवरण 21)	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि (संदर्भ-विवरण 21)	0.00	0.00

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमशः

	प्राप्तियाँ		संवितरण		
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	
	(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)		
भाग III - लोक लेखा ⁴					
लघु बचत (संदर्भ- विवरण 21)	10,16.43	8,72.60	अल्प बचत (संदर्भ-विवरण 21)	9,49.91	9,94.10
आरक्षित एवं शोधन निधियां (संदर्भ- विवरण 21)	4,01.00	4,52.88	आरक्षित एवं शोधन निधियां (संदर्भ- विवरण 21)	1,09.16	70.13
जमा (संदर्भ-विवरण 21)	1,56,51.26	1,07,85.74	जमा (संदर्भ- विवरण 21)	1,09,28.88	57,54.05
पेशगियाँ (संदर्भ-विवरण 21)	3,68.94	3,59.37	पेशगियाँ (संदर्भ- विवरण 21)	3,69.77	3,59.81
उचंत एवं विविध ⁵ (संदर्भ- विवरण 21)	6,12,10.24	6,51,69.68	उचंत एवं विविध ⁵ (संदर्भ- विवरण 21)	6,03,81.45	6,45,37.00
प्रेषण (संदर्भ- विवरण 21)	1,05,58.88	92,80.63	प्रेषण (संदर्भ- विवरण 21)	1,04,66.40	93,10.76
कुल प्राप्तियां लोक लेखा (संदर्भ- विवरण 21)	8,92,06.75	8,69,20.90	कुल व्यय लोक लेखा (संदर्भ- विवरण 21)	8,32,05.57	8,10,25.85
लोक लेखा में कमी	0.00	0.00	लोक लेखा में अधिशेष	60,01.18	58,95.05
अथ रोकड़ शेष	5,02.26	(-)2,03.93	अंत रोकड़ शेष	(-)2,42.16	5,02.26
रोकड़ शेष में वृद्धि	0.00	7,06.19	रोकड़ शेष में कमी	7,44.42	0.00

⁴ विस्तृत ब्योरे के लिए कृपया खण्ड II में विवरणी सं. 21 देखें।

⁵ “उचंत एवं विविधा” में “अन्य लेखे” जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है। इन अन्य लेखों के आंकड़ों के चलते चलते आंकड़े बहुत बड़ा दिखता है। विस्तृत ब्योरे कृपया विवरणी सं. 21 में देखा जाए।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमशः
विवरण संख्या -2 का अनुबन्ध
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को
		(₹ करोड़ में)
(क) सामान्य रोकड़ शेष-		
(1) रिजर्व बैंक के पास जमा ¹	5,02.26	(-)2,42.16
(2) रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	14,39.09	3,54.56
जोड़ - (क)	19,41.35	1,12.40
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश ²		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात् वन और लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	6.37	37.90
(2) विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम राशियाँ	0.13	0.13
(3) कर्नांकित निधियों का निवेश	0.00	0.00
जोड़ - (ख)	6.50	38.03
जोड़ - (क) और (ख)	19,47.85	1,50.43

¹ शीर्ष "रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत शेष, 10 अप्रैल 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए परामर्श के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित अंतर्शासकीय मौद्रिक समायोजन को लेखे में समाविष्ट करने के पश्चात् ही निकाला जा सकता है।

"रिजर्व बैंक के पास जमा" के संबंध में लेखों में परिलक्षित आँकड़े (₹ 2,42.16 करोड़ जमा) और रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गए आँकड़े (₹ 22.92 करोड़ नामे) के बीच ₹ 2,19.24 करोड़ (निवल जमा) का अन्तर था जो रोकड़ शेष में सम्मिलित है। वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 2,17.63 करोड़ के विसंगति विवरण भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को मिलान करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक जमा शेष में आवश्यक सुधार करने हेतु भेज दिया गया है तथा अक्टूबर 1987 के पूर्व अवधि के लिए शेष ₹ 1.61 करोड़ (नामे) का अन्तर समाधान के अधीन है (अगस्त 2018)।

² इस रोकड़ शेष स्थिति में, बैंक खाते में स्थानांतरित अव्ययित शेष शामिल नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :-

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** : कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में जमा एवं पारगमन हेतु प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, "रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य" का निर्माण करते हैं। शीर्ष "रिजर्व बैंक में जमा" के अंतर्गत शेष वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे का सम्मिलित शेष बतलाते हैं। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए, रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों इत्यादि में से कोषागारों, विभागों एवं निवेशों के रोकड़ शेष, को "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के शेष में जोड़ा जाना चाहिए।

2. प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-क्रमांत
विवरण संख्या -2 का अनुबन्ध-क्रमांत
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश-क्रमांत

- (ख) **दैनिक रोकड़ शेष** : भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक दिन बैंक के पास ₹ 0.45 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि किसी भी दिन रोकड़ शेष इस न्यूनतम राशि से कम पड़ जाता है, तो इस कमी को समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स लेकर पूरा किया जाता है।
- अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स स्वीकृत करने हेतु दैनिक रोकड़ शेष³ ज्ञात करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्रों सहित लेन-देनों के रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक के काउन्टरों पर, अन्तर्शासकीय लेन-देन तथा एजेंसी बैंकों के द्वारा रिपोर्ट किए गए कोषागारों के लेन-देन) के साथ उस दिन के लिए मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से ज्ञात किए गए रोकड़ शेष में, 14 दिनों के कोषागार विपत्रों की परिपक्वता, यदि कोई हो, को जोड़ा जाता है और अधिक शेष यदि कोई हो, तो न्यूनतम रोकड़ शेष को पूरा करने के बाद, कोषागार विपत्रों में पुनर्निवेश किया जाता है।
- जब रोकड़ शेष इस न्यूनतम शेष या जमा शेष से कम पड़ जाता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिनों का कोषागार विपत्र परिपक्व नहीं हो रहा है, तब भारतीय रिजर्व बैंक, धारित 14 दिनों के कोषागार विपत्र पर पुनः छूट देती है, ताकि कमी को पूरा किया जा सके। यदि उस दिन कोई भी धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र नहीं है, तब राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।
- (ग) दिनांक 1 फरवरी 2016 से प्रभावी राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 7,20.00 करोड़ थी। सरकार की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर उसके बदले विशेष अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने पर बैंक ने भी अपनी सहमति दी। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को बैंक द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ जिस सीमा तक न्यूनतम शेष बरकरार रखा, वह नीचे दिया गया है :-
- | | | |
|-------|--|-------|
| (i) | दिनों की संख्या, जिसमें बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया | 358 |
| (ii) | दिनों की संख्या, जिसमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया | 7 |
| (iii) | दिनों की संख्या, जिसमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा | शून्य |
| (iv) | दिनों की संख्या, जिसमें उपरोक्त अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष से कम था लेकिन कोई ओभरड्राफ्ट नहीं लिया गया। | शून्य |
| (v) | दिनों की संख्या, जिसमें ओभरड्राफ्ट लिया गया था। | शून्य |
- (घ) राज्य सरकार द्वारा ₹ 7.65 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम 2017-18 में लिया गया था एवं इस राशि को इसी वित्तीय वर्ष के दौरान वापस कर दिया गया है। अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त होने पर उसे 6003-110 शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया गया एवं उसका पुनर्भुगतान करने के पश्चात “घटाएँ-जमा” के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत कोई राशि नहीं दिखाया गया है। यद्यपि लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 0.21 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है।
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया था।
- (च) उद्विष्ट निधियों में से किए गए निवेशों का ब्योरा विवरण संख्या 22 में दिया गया है।

³ उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) 31 मार्च को वर्ष के अंत रोकड़ शेष को दर्शाता है, किन्तु इसे 16 अप्रैल तक निकाला जाता है। जो साधारणतः 31 मार्च का दैनिक शेष नहीं है।

3. प्राप्तियों का विवरण
(समेकित निधि)

विवरण	वास्तविकी	
	2017-18	2016-17
I. राजस्व प्राप्तियाँ		
		(₹ करोड़ में)
क. कर राजस्व	3,34,97.07	3,24,41.17
क. 1 निजी कर राजस्व	1,23,53.44	1,32,99.25
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	57,14.70	1,05,49.25
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	41,23.88	0.00
राज्य उत्पाद शुल्क	8,40.81	9,61.68
वाहन कर	7,78.37	6,81.52
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,69.34	6,07.01
विद्युत कर तथा शुल्क	1,83.50	1,51.89
भू-राजस्व	1,56.01	2,40.25
आय पर अन्य कर तथा व्यय	73.98	67.70
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	12.82	39.94
कृषि आय पर कर	0.02	0.00
होटल प्राप्तियाँ	0.01	0.00
माल तथा यात्री कर	0.00	0.01
क. 2 संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का हिस्सा	2,11,43.63	1,91,41.92
निगम कर	64,74.67	61,34.84
आय पर निगम कर से भिन्न कर	54,67.42	42,63.73
सेवा कर	24,03.90	30,76.78
संघ उत्पाद शुल्क	22,30.40	30,13.47
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	21,34.44	0.00
सीमा शुल्क	21,33.80	26,38.98
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	2,99.20	0.00
आय पर अन्य कर तथा व्यय	0.00	0.00
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	(-)0.01	0.07
धन कर	(-)0.19	14.05
जोड़ - क	3,34,97.07	3,24,41.17

**3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)**

विवरण	वास्तविकी	
	2017-18	2016-17
		(₹ करोड़ में)
ख. करेतर राजस्व	78,46.67	53,51.41
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	59,41.36	40,94.25
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,18.16	3,17.53
अन्य सामाजिक सेवाएं	1,91.83	24.09
ब्याज प्राप्तियां	1,68.88	1,21.34
फसल कृषि-कर्म	1,66.19	5.89
मध्यम सिंचाई	1,42.69	57.77
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,35.78	36.79
मुख्य सिंचाई	1,31.46	21.02
शहरी विकास	1,21.83	1,44.20
श्रम तथा रोजगार	87.63	85.77
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	83.40	43.17
अन्य सामान्य सेवाएं	79.41	85.46
जल पूर्ति तथा सफाई	77.09	12.09
सड़क तथा सेतु	73.37	1,14.63
पुलिस	51.47	24.48
आवास	24.56	23.58
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	19.46	21.10
सिविल पूर्ति	14.67	3.90
लोक निर्माण कार्य	14.30	26.09
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	14.22	20.53
अन्य सामान्य अर्थिक सेवाएं	12.37	8.82
पशुपालन	10.57	3.49
मछली पालन	9.52	5.56
जेल	6.32	5.28

**3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)**

विवरण	वास्तविकी	
	2017-18	2016-17
		(₹ करोड़ में)
नगर विमानन	6.02	0.03
लोक सेवा आयोग	5.96	4.47
उर्जा	5.61	6.43
पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों का अंशदान तथा वसूलियां	4.77	2.79
लघु सिंचाई	4.63	5.01
ग्राम तथा लघु उद्योग	4.45	13.01
वानिकी तथा वन्य जीवन	4.44	4.48
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	4.31	0.00
डेयरी विकास	3.32	2.31
सहकारिता	2.37	2.82
उद्योग	1.14	0.02
पर्यटन	1.07	2.82
अन्य कृषि कार्यक्रम	1.06	0.34
सूचना एवं प्रसार	0.63	0.03
अन्य उद्योग	0.21	0.00
अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.11	0.00
परिवार कल्याण	0.01	0.02
सड़क परिवहन	0.01	0.00
भूमि सुधार	0.01	0.00
अंशदान तथा लाभांश	0.00	0.00
कुल - ख	78,46.67	53,51.41

**3. प्राप्तियों का विवरण क्रमशः
(समेकित निधि)**

विवरण	वास्तविकी	
	2017-18	2016-17
II. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		
		(₹ करोड़ में)
ग. केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान	1,14,12.29	92,61.35
ग. 1 योजनेतर अनुदान	0.00	18,75.29
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	0.00	13,14.80
राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	0.00	2,86.50
अन्य अनुदान	0.00	2,73.99
ग. 2 राज्य/संघक्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	67,92.89
ब्लॉक अनुदान (बाह्य सम्पोषित परियोजना सहित)	0.00	6,08.61
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	0.00	1,93.10
केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	0.00	1,10.55
अन्य अनुदान	0.00	58,80.63
ग. 3 केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	78.01
ग. 4 केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	5,15.16
ग. 5 विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	79,85.24	0.00
ग. 6 केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	15,83.03	0.00
ग. 7 विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	18,44.02	0.00
	54.71	0.00
	1,09.14	0.00
	12,65.00	0.00
	2,74.90	0.00
	1,40.27	0.00
कुल - ग	1,14,12.29	92,61.35
जोड़ राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	5,27,56.03	4,70,53.93

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमांत
(समेकित निधि)

विवरण	वास्तविकी	
	2017-18	2016-17
II. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		
		(₹ करोड़ में)
घ. पूंजी प्राप्तियाँ		
विनिवेश	0.00	0.00
अन्य	25.09	0.00
जोड़ - घ	25.09	0.00
ड लोक ऋण प्राप्तियाँ	81,36.85	70,81.42
ड 1 केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	79,05.24	68,47.13
बाजार कर्ज	59,99.65	51,54.00
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	16,00.00	14,16.46
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	0.00	24.56
अन्य संस्थाओं से कर्ज	3,05.59	2,52.11
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी	0.00	0.00
विशेष प्रभूतियाँ	0.00	0.00
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	0.00	0.00
ड 2 केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	2,31.61	2,34.29
योजनेतर कर्ज	0.00	0.00
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	2,31.61	2,34.29
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.00	0.00
जोड़ - ड	81,36.85	70,81.42
च. राज्य सरकार के द्वारा कर्ज तथा अग्रिमों की (वासूलियाँ) ¹	42.41	38.45
छ. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (क+ख+ग+घ+ड+च+छ)	6,09,60.38	5,41,73.80

¹ खण्ड-I के विवरण सं. 7 एवं खण्ड-II विवरण सं. 18 में विस्तृत विवरण देखें।

**4. व्यय का विवरण
(समेकित निधि)**

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल (₹ करोड़ में)
क. कार्यात्मक व्यय				
क. सामान्य सेवाएँ				
क. 1 राज्य के अंग				
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	80.91	0.00	0.00	80.91
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक	8.26	0.00	0.00	8.26
मंत्री परिषद	16.26	0.00	0.00	16.26
न्याय प्रशासन	3,74.63	0.00	0.00	3,74.63
निर्वाचन	62.84	0.00	0.00	62.84
क. 2 राजकोषीय सेवाएँ				
भू-राजस्व	3,11.97	0.00	0.00	3,11.97
स्टाम्प एवं पंजीकरण	27.34	0.00	0.00	27.34
राज्य उत्पाद शुल्क	19.72	0.00	0.00	19.72
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	62.58	0.00	0.00	62.58
वाहन कर	7.46	0.00	0.00	7.46
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.53	0.00	0.00	1.53
अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.30	56.01	0.00	58.31
ब्याज अदायगियाँ	46,61.68	0.00	0.00	46,61.68
क. 3 प्रशासनिक सेवाएँ				
लोक सेवा आयोग	11.16	0.00	0.00	11.16
सचिवालय - सामान्य सेवाएँ	97.24	0.00	0.00	97.24
जिला प्रशासन	4,70.56	0.00	0.00	4,70.56
खजाना एवं लेखा प्रशासन	14.11	0.00	0.00	14.11
पुलिस	39,56.45	3,71.97	0.00	43,28.42
जेल	1,44.54	0.00	0.00	1,44.54
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1.71	0.00	0.00	1.71
लोक निर्माण कार्य	1,42.88	3,78.41	0.00	5,21.29
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	1,64.43	0.72	0.00	1,65.15
क. 4 पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ				
पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	59,13.24	0.00	0.00	59,13.24
विविध सामान्य सेवाएँ	4.53	0.00	0.00	4.53
जोड़ सामान्य सेवाएँ	1,65,58.33	8,07.11	0.00	1,73,65.44

4. व्यय का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
				(₹ करोड़ में)
क. कार्यात्मक व्यय-क्रमशः				
ख. सामाजिक सेवाएँ				
ख. 1 शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति				
सामान्य शिक्षा	75,16.72	3,60.27	0.00	78,76.99
तकनीकी शिक्षा	3,80.33	0.00	0.00	3,80.33
खेलकुद एवं युवा सेवाएँ	49.50	0.00	0.00	49.50
कला एवं संस्कृति	19.19	0.00	0.00	19.19
ख. 2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	24,58.17	3,09.49	0.00	27,67.66
परिवार कल्याण	90.54	0.00	0.00	90.54
ख. 3 जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास				
जल पूर्ति एवं सफाई	17,61.78	3,32.26	0.00	20,94.04
आवास	12.38	1,59.94	2.00	1,74.32
शहरी विकास	29,09.60	40.00	29.70	29,79.30
ख. 4 सूचना एवं प्रसारण				
सूचना तथा प्रचार	1,85.66	10.90	0.00	1,96.56
ख. 5 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	10,84.97	2,65.29	0.00	13,50.26
ख. 6 श्रमिक एवं श्रम कल्याण				
श्रम तथा रोजगार	1,10.90	0.00	0.00	1,10.90
ख. 7 समाज कल्याण तथा पोषण				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	20,36.45	16.53	0.00	20,52.98
पोषण	5,15.15	0.00	0.00	5,15.15
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	4,12.02	0.00	0.00	4,12.02
ख. 8 अन्य				
अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.66	33.39	0.00	34.05
सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	30.95	0.00	0.00	30.95
जोड़ सामाजिक सेवाएँ	1,95,74.97	15,28.07	31.70	2,11,34.74

4. व्यय का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल (₹ करोड़ में)
क. कार्यात्मक व्यय-क्रमशः				
ग. आर्थिक सेवाएँ				
ग. 1 कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप				
फसल कृषि कर्म	5,32.84	36.55	0.00	5,69.39
मृदा एवं जल संरक्षण	1,13.15	2,99.16	0.00	4,12.31
पशुपालन	2,13.20	9.10	0.00	2,22.30
डेरी विकास	1,75.47	11.05	0.00	1,86.52
मछलीपालन	57.21	43.81	0.00	1,01.02
वानिकी एवं वन्य जीवन	5,85.41	0.00	0.00	5,85.41
खाद्य संग्रहण एवं भंडारण	0.00	26.54	0.00	26.54
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1,85.25	0.00	0.00	1,85.25
सहकारिता	1,51.63	1,81.12	0.20	3,32.95
अन्य कृषि कार्यक्रम	2.69	0.00	0.00	2.69
ग. 2 ग्राम विकास				
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6,33.04	0.00	0.00	6,33.04
ग्राम रोजगार	24,52.03	0.00	0.00	24,52.03
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	29,59.81	20,92.79	3.51	50,56.11
ग. 3 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण				
मुख्य सिंचाई	1,59.20	5,78.06	0.00	7,37.26
मध्यम सिंचाई	1,49.90	6,42.69	0.00	7,92.59
लघु सिंचाई	83.13	4,59.09	0.00	5,42.22
कमान क्षेत्र विकास	5.96	0.00	0.00	5.96
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	0.00	9.31	0.00	9.31
ग. 4 ऊर्जा				
बिजली	42,91.22	0.00	17,60.67	60,51.89
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2,38.89	0.00	0.00	2,38.89
ग. 5 उद्योग तथा खनिज				
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	97.52	0.00	0.00	97.52
उद्योग	1,32.96	6.00	0.00	1,38.96

4. व्यय का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल (₹ करोड़ में)
क. कार्यात्मक व्यय-क्रमशः				
अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	34.34	0.00	0.00	34.34
उद्योगों तथा खनिज पर अन्य परिव्यय	0.00	9.50	0.00	9.50
ग. 6 परिवहन				
नगर विमानन	4.77	88.27	0.00	93.04
सड़क एवं सेतु	2,84.14	50,36.91	0.00	53,21.05
सड़क परिवहन	0.06	11.58	0.00	11.64
अन्य परिवहन सेवाएँ	2,41.96	5.00	0.00	2,46.96
ग. 7 सामान्य आर्थिक सेवाएँ				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	52.62	0.00	0.00	52.62
पर्यटन	44.89	71.00	0.00	1,15.89
जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	21.26	0.00	0.00	21.26
सामान्य वित्तीय और व्यापार संगठन में निवेश	0.0	0.00	1.00	0.00
सिविल पूर्ति	9,11.09	0.00	0.00	9,11.09
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	3.13	0.00	0.00	3.13
कुल आर्थिक सेवाएँ	1,48,18.77	96,17.53	17,64.38	2,62,00.68
घ. ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान				
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	0.00	0.00	0.00	0.00
ड. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज				
सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	0.00	0.00	55.59	55.59
च. लोक ऋण				
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	0.00	27,88.46	0.00	27,88.46
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	0.00	1,61.04	0.00	1,61.04
छ. अंतरराज्यीय परिशोधन				
अंतरराज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	29,49.50	55.59	30,05.09
जोड़ समेकित निधि व्यय	5,09,52.07	1,49,02.21	18,51.67	6,77,05.95

**4. व्यय का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)**

व्यय का उद्देश्य	2015-16			2016-17			2017-18		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख. व्यय की प्रकृति									
<i>(करोड़ में)</i>									
1. वेतन	81,77.92	40.54	82,18.46	88,88.99	37.91	89,26.90	1,11,74.50	46.36	1,12,20.86
2. सहायक अनुदान (गैर-वेतन)	89,36.12	0.00	89,36.12	1,17,66.31	0.00	1,17,66.31	1,23,26.11	0.00	1,23,26.11
3. मुख्य कार्य (राज्य योजना)	7.09	71,93.27	72,00.36	1.16	1,00,31.41	1,00,32.57	0.00	1,11,14.84	1,11,14.84
4. पूंजीगत परिसम्पत्ति के लिए सहायक अनुदान	40,37.99	0.00	40,37.99	66,76.89	1,00.00	67,76.89	64,41.73	0.00	64,41.73
5. पेंशन प्रभार ¹	39,90.01	0.00	39,90.01	41,35.29	0.00	41,35.29	59,13.24	0.00	59,13.24
6. ब्याज अदायगियां	33,20.08	0.00	33,20.08	41,72.25	0.00	41,72.25	46,61.68	0.00	46,61.68
7. सहायक अनुदान (वेतन)	19,08.67	8.15	19,16.82	17,83.83	5.00	17,88.83	19,46.15	0.00	19,46.15
8. उधार का पुनर्भुगतान	0.00	22,45.93	22,45.93	0.00	20,77.88	20,77.88	0.00	29,49.50	29,49.50
9. आपूर्ति एवं सामग्रियाँ	19,02.98	22.22	19,25.20	11,29.97	40.33	11,70.30	8,40.07	68.25	9,08.32
10. ऋण एवं अग्रिम	0.00	74,80.00	74,80.00	0.00	13,35.07	13,35.07	0.00	18,51.67	18,51.67
11. अन्य व्यय	5,27.55	2,30.79	7,58.34	6,62.20	3,93.91	10,56.11	7,40.11	5,30.51	12,70.62
12. छात्रवृत्ति/वृत्ति	6,10.21	9.76	6,19.97	6,42.68	0.00	6,42.68	5,27.82	0.00	5,27.82
13. एक मुश्त	2,86.23	1,55.94	4,42.17	1,00.03	1,04.26	2,04.29	1,11.67	71.21	1,82.88
14. अनुरक्षण एवं मरम्मत	4,18.41	1,04.29	5,22.70	4,69.86	0.20	4,70.06	5,60.82	0.10	5,60.92
15. नकद राहत	5,12.11	20.08	5,32.19	6,38.78	30.55	6,69.33	15,71.69	17.81	15,89.50
16. लघु कार्य	6.26	2,94.46	3,00.72	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
17. मानदेय	2,78.77	0.00	2,78.77	3,10.44	0.00	3,10.44	3,40.97	0.00	3,40.97
18. सबसिडी	5,21.56	0.00	5,21.56	18,58.71	0.00	18,58.71	14,39.76	0.00	14,39.76
19. कार्यालय व्यय	2,41.91	0.45	2,42.36	89.50	0.59	90.09	1,18.99	2.18	1,21.17
20. अंशदान	1,12.15	16.96	1,29.11	2,94.27	61.12	3,55.39	3,89.16	51.04	4,40.20
21. मजदुरी	1,73.61	0.00	1,73.61	2,32.18	0.00	2,32.18	2,69.67	0.00	2,69.67
22. यात्रा व्यय	1,51.23	0.07	1,51.30	1,55.91	0.09	1,56.00	1,63.92	0.11	1,64.03
23. व्यवसायिक सेवाएं	1,08.60	5.46	1,14.06	2,03.60	11.47	2,15.07	1,52.79	23.59	1,76.38
24. मशीन एवं उपस्कर	95.81	6.70	1,02.51	1,22.23	2.68	1,24.91	1,48.50	0.84	1,49.34
25. मेडिकल स्टोर आपूर्ति	84.12	0.00	84.12	24.13	0.00	24.13	26.80	0.00	26.80
26. मोटरगाड़ी	80.51	0.34	80.85	82.16	9.19	91.35	90.62	10.53	1,01.15

¹ वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान मुख्य शीर्ष “2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ” के अन्तर्गत बिहार को पेंशन प्रभार के रूप में क्रमशः ₹ 13.62 करोड़ एवं ₹ 2,00.00 करोड़ शामिल है।

**4. व्यय का विवरण-क्रमांत
(समेकित निधि)**

व्यय का उद्देश्य	2015-16			2016-17			2017-18		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख. व्यय की प्रकृति									
(करोड़ में)									
27. सविदा भत्ता	83.80	0.15	83.95	1,03.60	0.15	1,03.75	1,77.07	0.14	1,77.21
28. बिजली व्यय	58.81	0.06	58.87	50.33	0.02	50.35	61.24	0.02	61.26
29. वर्दी	38.66	0.05	38.71	32.56	0.03	32.59	37.30	0.05	37.35
30. राशन की लागत	42.64	0.03	42.67	42.40	0.00	42.40	40.21	0.00	40.21
31. विज्ञापन एवं प्रचार	71.53	0.34	71.87	98.32	0.50	98.82	1,43.86	0.09	1,43.95
32. प्रशिक्षण भत्ता	7.85	1.99	9.84	7.51	1.74	9.25	10.05	1.78	11.83
33. अनुशंसित राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34. अन्य प्रशासनिक व्यय	26.06	0.11	26.17	28.95	0.43	29.38	12.74	1.26	14.00
35. सेमिनार, प्रदर्शनी एवं प्रचार	24.78	0.03	24.81	62.08	0.54	62.62	96.79	0.77	97.56
36. केन्द्रांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37. केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्य हिस्सा	18.73	0.00	18.73	55.75	0.00	55.75	3,20.70	0.00	3,20.70
38. सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ (आई.टी.सी.)	1,01.55	0.00	1,01.55	96.40	0.00	96.40	81.77	0.07	81.84
39. प्रशिक्षण व्यय	54.35	0.00	54.35	60.56	3.04	63.60	35.71	1.77	37.48
40. किराया, दरे एवं कर/कर शुल्क का हिस्सा	1.55	0.00	1.55	26.31	0.45	26.76	43.74	0.26	44.00
41. नई मोटर गाड़ी का क्रय	8.78	45.63	54.41	21.80	23.84	45.64	8.99	1.60	10.59
42. अन्य (प्रत्येक वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत ₹10 करोड़ से कम व्यय शामिल है)	35.85	0.65	36.50	28.16	1.23	29.39	34.29	7.53	41.82
सकल व्यय	3,70,64.84	1,78,84.45	5,49,49.29	4,51,59.17	1,42,73.63	5,94,32.80	5,10,61.23	1,67,53.88	6,78,15.11
घटाएँ-वापसियाँ	5,12.01	0.00	5,12.01	70.13	0.00	70.13	1,09.16	0.00	1,09.16
निवल व्यय	3,65,52.83	1,78,84.45	5,44,37.28	4,50,89.04	1,42,73.63	5,93,62.67	5,09,52.07	1,67,53.88	6,77,05.95

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17	2016-17	2017-18	2017-18	2017-18	वर्ष 2017-18 के
		के दौरान व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	के दौरान व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-)
1	2	3	4	5	6	7	
				(₹ करोड़ में)			
क-	सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	36.54	84.31	56.01	1,40.32	53.28	
4055-	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	1,88.68	12,30.11	3,71.97	16,02.08	97.14	
4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	3,64.21	13,49.11	3,78.41	17,27.52	3.90	
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	0.18	83.16	0.72	83.88	300.00	
	जोड़-क-सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा	5,89.61	27,46.69	8,07.11	35,53.80	36.89	
ख-	सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा						
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा						
4202 -	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	2,53.50	19,05.10	3,60.27	22,65.37	42.12	
	जोड़ (क) शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा	2,53.50	19,05.10	3,60.27	22,65.37	42.12	
(ख)	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा						
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	5,11.55	23,56.78	3,09.49	26,66.27	(-)39.50	
	जोड़ (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा	5,11.55	23,56.78	3,09.49	26,66.27	(-)39.50	
(ग)	जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा						
4215-	जल पूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	2,20.97	32,43.69	3,32.26	35,75.95	50.36	
4216-	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	84.75	3,77.46	1,59.94	5,37.40	88.72	
4217-	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	49.00	13,08.95	40.00	13,48.95	(-)18.37	
	जोड़ (ग) जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा	3,54.72	49,30.10	5,32.20	54,62.30	50.03	

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17	2016-17	2017-18	2017-18	वर्ष 2017-18 के
		के दौरान व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	के दौरान व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
1	2	3	4	5	6	7
		(₹ करोड़ में)				
ख-	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-क्रमांत					
(घ)	सूचना एवं प्रचार का पूंजीगत लेखा	8.85	9.85	10.90	20.75	23.16
4220-	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय					
	जोड़ (घ) सूचना एवं प्रचार का पूंजीगत लेखा	8.85	9.85	10.90	20.75	23.16
(ङ)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण का पूंजीगत लेखा	2,64.04	18,03.38	2,65.29	20,68.67	0.47
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय					
	जोड़ (ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण का पूंजीगत लेखा	2,64.04	18,03.38	2,65.29	20,68.67	0.47
(छ)	समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत परिव्यय लेखा	1,16.96	5,78.78	16.53	5,95.31	(-85.87)
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय					
	जोड़ (छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत परिव्यय लेखा	1,16.96	5,78.78	16.53	5,95.31	(-85.87)
(ज)	अन्य समाज कल्याण सेवाओं का पूंजीगत लेखा	22.40	75.27	33.39	1,08.66	49.06
4250-	अन्य समाज कल्याण सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
	जोड़ (ज) अन्य समाज कल्याण सेवाओं का पूंजीगत लेखा	22.40	75.27	33.39	1,08.66	49.06
	जोड़ (ख) सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	15,32.02	1,16,59.26	15,28.07	1,31,87.33	(-0.26)

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17	2016-17	2017-18	2017-18	2017-18	वर्ष 2017-18 के
		के दौरान व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	के दौरान व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-)
1	2	3	4	5	6	7	
				(₹ करोड़ में)			
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क)	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा						
4401-	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	7.40	60.63	36.55	97.18	393.92	
4402-	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	4,28.01	4,97.84	2,99.16	7,97.00	(-)30.10	
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	12.03	32.31	9.10	41.41	(-)24.36	
4404-	डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	9.48	42.01	11.05	53.06	16.56	
4405-	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	51.06	1,24.23	43.81	1,68.04	(-)14.20	
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	29.30	0.00	29.30	0.00	
4408-	खाद्य भंडारण तथा भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय	50.71	83.34	26.54	1,09.88	(-)47.66	
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	10.62	67.58	1,81.12	2,48.70	1605.46	
	जोड़ (क) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा	5,69.31	9,37.24	6,07.33	15,44.57	6.68	
(ख)	ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा						
4515-	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	20,74.57	1,30,69.01	20,92.79	1,51,61.80	0.88	
	जोड़ (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	20,74.57	1,30,69.01	20,92.79	1,51,61.80	0.88	
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा						
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7,12.52	29,46.40	5,78.06	35,24.46	(-)18.87	
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,93.08	27,48.04	6,42.69	33,90.73	63.50	
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,89.80	16,43.81	4,59.09	21,02.90	17.78	
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.51	1,63.35	9.31	1,72.66	(-)39.97	
	जोड़-(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	15,10.91	75,01.60	16,89.15	91,90.75	11.80	

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण - क्रमशः

मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17	2016-17	2017-18	2017-18	वर्ष 2017-18 के
		के दौरान व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	के दौरान व्यय	के अन्त तक प्रगामी व्यय	दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ हास (-)
1	2	3	4	5	6	7
				(₹ करोड़ में)		
ग-	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-क्रमांत					
(ङ)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा					
4801-	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2,03.23	0.00	2,03.23	0.00
	जोड़ (ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	0.00	2,03.23	0.00	2,03.23	0.00
(च)	उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा					
4853-	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00
4875-	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	9.50	9.50	100.00
4885-	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	5.00	14.00	6.00	20.00	20.00
	जोड़ (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	5.00	21.38	15.50	36.88	210.00
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5053-	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	2,03.13	4,34.86	88.27	5,23.13	(-)/56.55
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	42,92.34	1,73,68.32	50,36.91	2,24,05.23	17.35
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	9.52	70.26	11.58	81.84	21.64
5075-	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	6,20.83	5.00	6,25.83	100.00
	जोड़ (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	45,04.99	1,84,94.27	51,41.76	2,36,36.03	14.13
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा					
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	74.27	3,53.52	71.00	4,24.52	(-)/4.40
5465-	सामान्य वित्तिय एवं ट्रेडिंग संस्थाओं में निवेश	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	45.78	0.00	45.78	0.00
	जोड़ (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	74.27	4,01.30	71.00	4,72.30	(-)/4.40
	जोड़ (ग) आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	87,39.05	4,06,28.03	96,17.53	5,02,45.56	10.05
	कुल जोड़	1,08,60.68	5,50,33.98	1,19,52.71	6,69,86.69	10.05

**5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण-क्रमांत
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ**

1. पूंजीगत परिव्यय का विस्तृत ब्योरा विवरण संख्या 16 में दिया गया है।
2. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों, और समितियों में सरकारी निवेश का ब्योरा विवरण संख्या 19 में दिखाया गया है।
3. उत्तरवर्ती बिहार राज्य तथा झारखण्ड राज्य के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के संयुक्त बिहार का पूंजीगत परिव्यय का बंटवारा नहीं हुआ है।
4. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और संयुक्त बिहार के समितियों में सरकारी निवेश का बंटवारा उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है।
5. 2017-18 के दौरान सरकारी कम्पनियों, सहकारी बैंक, समितियों एवं ग्रामीण बैंकों में ₹ 56.04 करोड़ का सरकारी निवेश किया गया। वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के अन्त तक विभिन्न इकाईयों के हिस्सा पूंजी में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 2,61.71 करोड़, ₹ 3,20.83 करोड़ एवं ₹ 3,76.87 करोड़ था, कृपया विवरण संख्या - 19 में दिये गये विस्तृत विवरण देखें।
6. उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान लाभांश से संबंधित सूचना निम्नवत् है।

वर्ष (₹ करोड़ में)

2015-16	0.47
2016-17	0.00
2017-18	0.00

7. विभाग द्वारा संचालित सरकारी उपक्रमों के कार्यों के वित्तीय परिणामों का एक सारांश जैसा कि नवीनतम उपलब्ध प्रोफार्मा लेखें द्वारा प्रकट हुआ :-

उपक्रमों/योजनाओं के नाम	मुख्य शीर्ष जिसके अन्तर्गत लेखाकरण किया गया	लेखे का वर्ष	पूंजी लागत	लाभ (+)/ हानि (-)	पूंजी लागत पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
राज्य सरकार से कोई भी सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2018)।					

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण
(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण ¹

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2017 को शेष		वर्ष के दौरान वापसियाँ		31 मार्च 2018 को शेष		निवल वृद्धि (+)/ हास (-)		कुल दायित्वों का प्रतिशत	
	प्राप्तियाँ	प्रतिशत	वापसियाँ	प्रतिशत	को शेष	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत		
(₹ करोड़ में)										
क- लोक ऋण										
6003 - राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	4,86,82.31		79,05.24		27,88.46		5,37,99.09		10.51	69.78
बाजार कर्ज	2,82,80.28		59,99.65		11,92.18		3,30,87.75		17.00	42.92
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम ²	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
बंध-पत्र	55,58.07		0.00		0.00		55,58.07		0.00	7.21
वित्तीय संस्थायों से कर्ज	49,79.34		19,05.59		8,50.33		60,34.60		21.19	7.83
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	98,28.83		0.00		7,45.95		90,82.88		(-)7.59	11.78
अन्य कर्ज	35.79		0.00		0.00		35.79		0.00	0.05
6004 - केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	21,62.29		2,31.61		1,61.04		22,32.86		3.26	2.90
01 योजनेतर कर्ज	19.37		0.00		1.80		17.57		(-)1.80	0.02
02 राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	21,42.92		2,31.61		1,59.24		22,15.29		72.37	2.87
जोड़ क-लोक ऋण	5,08,44.60		81,36.85		29,49.50		5,60,31.95		10.20	72.68

¹ विस्तृत विवरणों के लिए कृपया खण्ड -II में विवरण संख्या-17 देखें।

² राज्य सरकार द्वारा ₹ 7.65 करोड़ का अर्थोपाय अग्रिम वर्ष 2017-18 में लिया गया था एवं इसी वित्तीय वर्ष के दौरान वापस कर दिया गया है। अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त होने पर उसे शीर्ष 6003-110 के अन्तर्गत जमा किया गया एवं पुनर्भुगतान करने के पश्चात् "घटायो-जमा के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसलिए अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत कोई राशि नहीं दिखाया गया है।

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमशः
(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण ¹

उधारों की प्रकृति	1 अप्रैल 2017		वर्ष के दौरान		31 मार्च 2018		निवल वृद्धि (+)/ हास (-)	कुल दायित्वों का प्रतिशत
	को शेष	प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान वापसियाँ	वर्ष के दौरान को शेष	रशि	प्रतिशत		
ख- अन्य दायित्व								
लोक लेखा								
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	10,75.67	10,16.42	9,49.91	11,42.18	66.51	6.18	1.48	
ब्याजदेय आरक्षित निधियाँ	12,59.21	4,01.00	1,09.16	15,51.05	2,91.84	23.18	2.01	
अब्याजदेय आरक्षित निधियाँ ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ब्याज सहित जमा	9.70	3,86.30	3,82.47	13.53	3.83	39.48	0.02	
ब्याज रहित जमा	1,36,37.78	1,52,64.96	1,05,46.41	1,83,56.33	47,18.55	34.60	23.81	
जोड़ ख - अन्य दायित्व	1,59,82.36	1,70,68.68	1,19,87.95	2,10,63.09	50,80.73	31.79	27.32	
जोड़ लोक ऋण और अन्य दायित्व	6,68,26.96	2,52,05.53	1,49,37.45	7,70,95.04	1,02,68.08	15.37	100.00	

(₹ करोड़ में)

¹ परिशोधन की व्यवस्था, ऋण शोधन आदि के विस्तृत जानकारी के लिए इस विवरण के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पृष्ठ 27 में देखें।

³ यह आँकड़ा इन शीर्ष के अन्तर्गत आरक्षित निधियों से की गई निवेश के समयोजन के बाद निवल दायित्वों को दर्शाती है।

**6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमशः
व्याख्यात्मक टिप्पणियां विवरण 6**

1. परिशोधन की व्यवस्था
 - (i) **खुला बाजार कर्ज**- राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 तक 70 राज्य विकास/स्टॉक ऋण/स्टॉक लिया (31 मार्च 2018 को शेष ₹ 3,30,87.75 करोड़ था)।
 - (ii) अन्य बंध पत्रों एवं ऋणों के परिशोधन हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
 - (iii) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान गारंटी परिशोधन कोष का भी सृजन नहीं किया गया है।
2. **अल्प बचत निधि से कर्ज** - डाकघरों में “अल्प बचत योजनाओं” तथा “लोक भविष्य निधि खाते” में संग्रहित राशि में से कर्ज राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार में 3:1 के अनुपात में वितरित किये जायेंगे। वर्ष 1999-2000 में लघु बचत संग्रहण में से कर्ज जारी करने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय लघु बचत निधि” के नाम से एक अलग निधि की स्थापना की गयी। वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि वर्ष के दौरान ₹ 7,45.95 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। वर्ष के अंत में ₹ 90,82.88 करोड़ की राशि का शेष बकाया था जो कि राज्य सरकार के 31 मार्च 2018 को कुल लोक ऋण का 16.21 प्रतिशत था।
3. **भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम, बाजार कर्ज इत्यादि**
 - (क) **भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम** :- भारत सरकार से कर्ज के रूप में ₹ 2,31.61 करोड़ प्राप्त किया तथा राज्य सरकार ने ₹ 1,61.04 करोड़ वापस किया। भारत सरकार से प्राप्त कर्ज पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,16.18 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त सभी कर्जों को विधिवत लेखांकित किया गया तथा मूलधन के पुनर्भुगतान एवं ब्याज के भुगतान से संबंधित कोई बकाया नहीं है। विवरण संख्या 17 में बकाये ऋणों का विवरण दिया गया है।
 - (ख) **बाजार कर्ज** :- ये राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण (जो 12 महीने से अधिक चलने वाले) हैं। वर्ष के दौरान 9 (नौ) झारखण्ड विकास ऋण उगाहे गए जो निम्न है :-

क्रम सं.	कर्ज की राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर	विमोच्य अवधि	
			माह	वर्ष
1	10,00.00	7.27	जून	2027
2	5,09.65	7.43	सितम्बर	2032
3	10,00.00	7.49	सितम्बर	2032
4	10,00.00	7.62	अक्टूबर	2032
5	5,00.00	7.67	नवम्बर	2032
6	5,00.00	7.68	दिसम्बर	2032
7	4,90.00	7.79	दिसम्बर	2032
8	5,00.00	7.90	जनवरी	2033
9	5,00.00	8.08	फरवरी	2033

6. उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण - क्रमांत
व्याख्यात्मक टिप्पणियां विवरण 6

4. ऋण शोधन:-

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज-

वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व तथा ब्याज प्रभार, जिसे राजस्व से पूरा किया गया, कुल निवल राशि नीचे दिखाये गये हैं:-

लेन-देन की प्रकृति	2017-18	2016-17	निवल वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
(i) वर्ष के अंत में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि	5,71,74.12	5,31,89.18	39,84.94
(ख) अन्य दायित्वों	1,99,20.92	1,36,37.78	62,83.14
जोड़ (i)	7,70,95.04	6,68,26.96	1,02,68.08
(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज-			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि पर	46,59.91	41,65.01	4,94.90
(ख) अन्य दायित्वों पर	1.77	7.25	(-)5.48
जोड़ (ii)	46,61.68	41,72.26	4,89.42
(iii) घटाएं			
(क) सरकार द्वारा दिए गये कर्जों और पेशगियों पर प्राप्त ब्याज	90.32	4.33	85.99
(ख) रोकड़ शेष के निवेश पर प्राप्त ब्याज	78.56	1,17.01	(-)38.45
जोड़ (iii)	1,68.88	1,21.34	47.54
(iv) ब्याज प्रभारों की निवल राशि	44,92.80	40,50.92	4,41.88
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में सकल ब्याज (मद (ii)) की प्रतिशतता	8.84	8.87	(-)0.03
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में निवल ब्याज (मद (iv)) की प्रतिशतता	8.52	8.61	(-)0.09

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों का विवरण
खण्ड 1 कर्जों एवं पेशगियों का सारांश : ऋणी समूहवार

प्रक्षेत्र/ऋणी समूह ¹	1 अप्रैल 2017 को बकाया राशि ²	2	3	4	5	6	7	8
	वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि	वर्ष के दौरान वापस की गई राशि	वर्ष के दौरान बड़े खाते की गई राशि	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि/हास	वर्ष के दौरान अदायगी		
(₹ करोड़ में)								
सामाजिक सेवाएं								
(i) पंचायती राज संस्थाएँ	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
(ii) नगरपालिकाएँ/नगर परिषद/नगर निगम	1,53.81	0.00	0.00	0.00	1,53.81	0.00	0.00	0.00
(iii) शहरी विकास प्राधिकरण	4,48.04 ³	29.70	0.00	0.00	4,77.74	29.70	0.00	0.00
(iv) आवास बोर्ड	71.87 ⁴	2.00	0.00	0.00	73.87	2.00	0.00	0.00
(v) अन्य	(-)0.49 ⁵	0.00	0.00	0.00	(-)0.49 ⁶	0.00	0.00	0.00
जोड़ - सामाजिक सेवाएं	6,73.98	31.70	0.00	0.00	7,05.68	31.70	0.00	0.00
आर्थिक सेवाएं								
(i) पंचायती राज संस्थाएँ	13.97	3.51	0.70	0.00	16.78	2.81	0.00	0.00
(ii) नगरपालिकाएँ/नगर परिषद/नगर निगम	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
(iii) सांविधिक निगम	1,65,98.33	17,60.67	0.00	0.00	1,83,59.00	17,60.67	0.00	0.00
(iv) सरकारी कम्पनियाँ	1,15.58	0.00	0.00	0.00	1,15.58	0.00	0.00	0.00
(v) सहकारी समितियाँ/सहकारी निगम/बैंक	65.20	0.20	0.82	0.00	64.58	(-)0.62	0.00	0.00
(vi) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1,67,99.03	17,64.38	1.52	0.00	1,85,61.89	17,62.86	0.00	0.00
विविध प्रयोजन हेतु ऋण								
(i) सरकारी सेवकों	10.47	55.59	40.89	0.00	25.17	14.70	0.00	0.00
(ii) विविध प्रयोजन हेतु ऋण	(-)0.77 ⁷	0.00	0.00	0.00	(-)0.77	0.00	0.00	0.00
जोड़-विविध प्रयोजन हेतु ऋण	9.70	55.59	40.89	0.00	24.40	14.70	0.00	0.00
जोड़-कर्जों एवं पेशगियाँ	1,74,82.71	18,51.67	42.41	0.00	1,92,91.97	18,09.26	0.00	0.00

¹ कृपया विस्तृत विवरण हेतु खण्ड II के विवरण संख्या 18 देखें।

² उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है (अगस्त 2018)।

^{3,4,5} विवरण संख्या 18 के अनुसार अथ शेष को पुनरिक्षित कर लिया गया है।

^{6,7} उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अतः ऋणात्मक आंकड़े वहाँ शामिल हुए हैं जहाँ शेषों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है, परन्तु वसूलियाँ प्राप्त हुई हैं (अगस्त 2018)।

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः

निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार द्वारा ऋण में स्थायित्व के रूप में ऋण स्वीकृत किया गया

क्रम संख्या	ऋण स्वत्व	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है					

खण्ड 2 ऋणों एवं पेशगियों का सारांश : समूहवार खण्ड

खण्ड	1 अप्रैल 2017 को शेष	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान अदायगियों	अप्राप्य ऋण एवं पेशगियों का अपलेखन	31 मार्च 2018 को शेष	वर्ष के दौरान निबल वृद्धि/हास	बकाया ब्याज का भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
(₹ करोड़ में)							
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	6,73.98	31.70	0.00	0.00	7,05.68	31.70	0.00
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	1,67,99.03	17,64.38	1.52	0.00	1,85,61.89	17,62.86	0.00
सरकारी सेवाओं के लिए ऋण	9.70	55.59	40.89	0.00	24.40	14.70	0.00
जोड़	1,74,82.71	18,51.67	42.41	0.00	1,92,91.97	18,09.26	0.00

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

1	2	3	4	5	6
ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2018 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
(i) सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण :-					
जल पूर्ति एवं सफाई -					
आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.59	3.75	4.34	2005-06	6.42
बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.16	2.40	2.56	2005-06	2.88
बोकारो नगरपालिका	0.63	5.94	6.57	2006-07	6.64
बुण्डू अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.27	3.00	3.27	2006-07	3.76
चाईबासा नगरपालिका	0.31	3.05	3.36	2006-07	5.08
चक्रधरपुर नगरपालिका	0.31	4.20	4.51	2006-07	5.08
छाताटाड़ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.07	0.11	2006-07	1.92
चाकुलिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.23	2.65	2.88	2006-07	3.44
चास नगरपालिका	1.28	3.34	4.62	2006-07	12.84
चतरा नगरपालिका	1.37	2.45	3.82	2006-07	13.56
छतरपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.24	2.40	2.64	2006-07	3.52
चिरकुडा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.77	2.43	3.20	2006-07	7.76
डाल्टेनांग नगरपालिका	1.62	6.41	8.03	2006-07	15.04
देवघर नगरपालिका	0.89	5.68	6.57	2006-07	8.72
धनबाद नगरपालिका	0.97	6.79	7.76	2006-07	9.36
दुमका नगरपालिका	1.03	6.90	7.93	2006-07	9.84
फुसरो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.69	3.28	3.97	2006-07	7.12
गढ़वा नगरपालिका	0.39	4.39	4.78	2006-07	4.72
गिरीडीह नगरपालिका	0.60	4.84	5.44	2006-07	6.40
गोड्डा नगरपालिका	0.38	4.41	4.79	2006-07	4.64

(₹ करोड़ में)

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

1	2	3	4	5	6
ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2018 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
(₹ करोड़ में)					
जल पूर्ति एवं सफाई - क्रमशः					
गुमला नगरपालिका	0.43	6.33	6.76	2006-07	5.04
हजारीबाग नगरपालिका	0.65	8.13	8.78	2006-07	7.80
हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.39	4.13	4.52	2006-07	4.72
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.48	7.43	7.91	2006-07	5.44
जामताड़ा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.33	2.89	3.22	2006-07	4.24
जसीडीह अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.38	2.86	3.24	2006-07	4.64
झारिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.38	4.36	4.74	2006-07	4.64
झुमरीतिलैया नगरपालिका	0.32	4.15	4.47	2006-07	4.18
जुगसलाई नगरपालिका	0.36	4.53	4.89	2006-07	4.48
कतरास अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.37	4.25	4.62	2006-07	4.56
खरसावां अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	3.94	4.15	2006-07	3.28
खूटी अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.46	4.01	4.47	2006-07	5.28
कोडरमा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.53	3.91	4.44	2006-07	5.84
लातेहार अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.55	3.69	4.24	2006-07	6.00
लोहरदगा नगरपालिका	0.60	5.16	5.76	2006-07	6.40
मधुपुर नगरपालिका	0.30	4.03	4.33	2006-07	4.00
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.88	5.40	6.28	2006-07	8.64
मेदिनीनगर नगरपालिका	0.44	3.61	4.05	2006-07	5.12
मिहिजाम अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.62	3.96	4.58	2006-07	6.53
पाकुड़ नगरपालिका	0.45	4.14	4.59	2006-07	5.20
क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण, राँची	0.08	4.28	4.36	2006-07	2.24
राजमहल अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.27	3.47	3.74	2006-07	3.76

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

1	2	3	4	5	6
ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2018 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
					(₹ करोड़ में)
जल पूर्ति एवं सफाई - क्रमांत					
राँची नगरपालिका	3.35	16.76	20.11	2006-07	28.40
साहेबगंज नगरपालिका	0.28	5.35	5.63	2006-07	3.84
सरायकेला नगरपालिका	0.24	3.78	4.02	2006-07	3.82
सिमडेगा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.26	3.26	3.52	2006-07	3.68
सिंदरी अंचल नगरपालिका	0.23	3.95	4.18	2006-07	3.44
जोड़ - जल पूर्ति एवं सफाई	26.61	2,10.14	2,36.75		2,93.95
आवास					
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड	0.83	2.47	3.30	2006-07	73.87
जोड़ - आवास	0.83	2.47	3.30		73.87
शहरी विकास					
आदित्यपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.49	1.98	2.47	2006-07	11.62
बासुकीनाथ अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.36	1.22	1.58	2006-07	8.55
बासुकीनाथ नगर पंचायत	0.00	0.00	0.00	2017-18	0.06
बुण्डू अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.27	0.19	0.46	2006-07	6.75
चाईबासा नगरपालिका	0.27	0.59	0.86	2006-07	6.64
चक्रधरपुर नगरपालिका	0.34	0.86	1.20	2006-07	7.31
चाकुलिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.22	0.82	1.04	2006-07	5.50
चास नगरपालिका	0.25	0.82	1.07	2006-07	5.85
छत्तरपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.19	0.23	2006-07	3.34
चतरा नगरपालिका	0.11	0.94	1.05	2006-07	4.16
चिरकुण्डा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.77	0.80	2006-07	1.75

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

1	2	3	4	5	6
ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2018 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
(₹ करोड़ में)					
शहरी विकास - क्रमशः					
डालटेनगंज नगरपालिका	1.62	1.12	2.74	2006-07	40.50
देवघर नगरपालिका	0.50	0.92	1.42	2006-07	15.72
धनबाद नगरपालिका	2.80	10.42	13.22	2006-07	68.10
दुमका नगरपालिका	0.34	0.84	1.18	2006-07	9.20
फुसरो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.19	0.23	2006-07	1.12
फुसरो नगर परिषद	0.00	0.00	0.00	2017-18	1.47
गढ़वा नगरपालिका	0.12	0.64	0.76	2006-07	2.42
गिरीडीह नगरपालिका	0.61	1.18	1.79	2006-07	7.92
गोड्डा नगरपालिका	0.09	0.53	0.62	2006-07	2.07
गुमला नगरपालिका	0.11	0.49	0.60	2006-07	3.85
हजारीबाग नगरपालिका	0.36	0.50	0.86	2006-07	12.01
हुसैनाबाद अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.59	0.66	2006-07	1.79
हुसैनाबाद नगर पंचायत	0.00	0.00	0.00	2017-18	0.15
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.47	0.63	1.10	2006-07	11.79
जामताड़ा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.27	0.33	2006-07	1.56
जसीडीह अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.14	0.17	2006-07	0.75
झरिया अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.21	0.68	0.89	2006-07	5.25
झुमरीतिलैया नगरपालिका	0.14	0.62	0.76	2006-07	4.20
जुगसलाई नगरपालिका	0.22	0.70	0.92	2006-07	5.75
कतरास अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.03	0.16	0.19	2006-07	0.82
खरसावां अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	0.35	0.42	2006-07	1.75

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

1	2	3	4	5	6
ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2018 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
					(₹ करोड़ में)
शहरी विकास - क्रमांत					
खूटी अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.47	0.53	2006-07	1.72
कोडरमा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.56	0.62	2006-07	1.96
कोडरमा नगर पंचायत	0.00	0.00	0.00	2017-18	0.41
लातेहार अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.07	1.03	1.10	2006-07	1.93
लोहरदगा नगरपालिका	0.33	1.03	1.36	2006-07	7.07
मधुपुर नगरपालिका	0.17	1.01	1.18	2006-07	3.98
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.19	1.04	1.23	2006-07	1.54
मेदिनीनगर नगरपालिका	0.13	0.41	0.54	2006-07	4.72
मिहजाम अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.06	0.27	0.33	2006-07	2.13
मिहजाम नगर परिषद	0.00	0.00	0.00	2017-18	0.81
पाकुड़ नगरपालिका	0.16	1.07	1.23	2006-07	4.01
क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण, राँची	0.01	0.25	0.26	2006-07	4.11
राजमहल अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.04	0.20	0.24	2006-07	1.05
राजमहल नगर पंचायत	0.00	0.00	0.00	2017-18	0.07
रामगढ़ नगर परिषद	0.00	0.00	0.00	2017-18	0.92
राँची नगरपालिका	1.45	6.70	8.15	2006-07	34.47
साहेबगंज नगरपालिका	0.14	0.85	0.99	2006-07	2.36
सरायकेला नगरपालिका	0.07	0.58	0.65	2006-07	0.40
सिमडेगा अधिसूचित क्षेत्र समिति	0.12	0.69	0.81	2006-07	3.76
सिंदरी अंचल नगरपालिका	0.05	0.97	1.02	2006-07	0.68
जोड़ - शहरी विकास	13.38	46.48	59.86		3,37.82

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमशः
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी

ऋणी स्वत्व	1	2	3	4	5	6
	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2018 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण	
सहकारिता						(₹ करोड़ में)
निबंधक सहकारी समितियाँ	7.54	7.35	14.89	2006-07	64.56	
जोड़ - सहकारिता	7.54	7.35	14.89		64.56	
(ii) आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण :-						
ग्रामीण विकास-						
बोकारो जिला परिषद	0.44	1.27	1.71	2006-07	2.87	
चतरा जिला परिषद	0.12	1.32	1.44	2006-07	0.37	
देवघर जिला परिषद	0.11	1.35	1.46	2006-07	0.74	
धनबाद जिला परिषद	0.33	0.88	1.21	2006-07	3.25	
दुमका जिला परिषद	0.50	1.02	1.52	2006-07	2.85	
गढ़वा जिला परिषद	0.18	0.70	0.88	2006-07	1.09	
गिरीडीह जिला परिषद	0.39	1.10	1.49	2006-07	1.69	
गोड्डा जिला परिषद	0.07	1.09	1.16	2006-07	0.31	
गुमला जिला परिषद	0.08	0.75	0.83	2006-07	0.39	
चाईबासा जिला परिषद	0.20	0.69	0.89	2011-12	4.56	
हजारीबाग जिला परिषद	0.24	0.92	1.16	2011-12	0.86	
जमशेदपुर जिला परिषद	0.34	1.48	1.82	2011-12	0.70	
जामताड़ा जिला परिषद	0.01	0.01	0.02	2008-09	0.37	
कोडरमा जिला परिषद	0.02	1.37	1.39	2011-12	0.09	
लातेहार जिला परिषद	0.28	0.71	0.99	2011-12	0.73	
लोहरदगा जिला परिषद	0.20	0.70	0.90	2011-12	0.29	
पाकुड़ जिला परिषद	0.15	0.14	0.29	2011-12	1.06	

विवरण संख्या 7-सरकार द्वारा दिए गए कर्जे और पेशगियों का विवरण-क्रमांत
खण्ड 3 ऋणी स्वत्व के बकाया भुगतान की विवरणी-क्रमांत

ऋणी स्वत्व	मूलधन	सूद/ब्याज	कुल	बकाया जो कि पूर्व की अवधि से संबंधित	31 मार्च 2018 तक ऋणी के विरुद्ध बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण विकास - क्रमांत					(₹ करोड़ में)
पलामु जिला परिषद	0.37	1.22	1.59	2011-12	0.98
रांची जिला परिषद	0.54	1.13	1.67	2011-12	1.82
साहेबगंज जिला परिषद	0.17	1.42	1.59	2011-12	0.49
जोड़ - ग्रामीण विकास	4.74	19.27	24.01		25.51
खनिज एवं उद्योग -					
झारखण्ड राज्य बिहार स्पाज लौह लिमिटेड	5.42	5.17	10.59	2011-12	27.65
जोड़ - खनिज एवं उद्योग	5.42	5.17	10.59		27.65
ऊर्जा					
झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	3,11.17	5,23.53	8,34.70	2011-12	72,77.19
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	70.07	7.59	77.66	2013-14	81,42.82
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड	8,18.29	88.65	9,06.94	2013-14	28,93.39
झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	5.00	0.54	5.54	2013-14	50.00
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	55.69	72.40	1,28.09	2011-12	60.80
पतरातु थर्मल पावर	15.56	60.50	76.06	2011-12	20.00
जोड़ - उर्जा	12,75.78	7,53.21	20,28.99		1,84,44.20
(iii) सरकारी कर्मचारियों को ऋण					
राज्य सरकार के कर्मचारी	0.00	0.00	0.00		24.41
जोड़ - सरकारी कर्मचारी	0.00	0.00	0.00		24.41⁸
कुल जोड़	13,34.30	10,44.09	23,78.39		1,92,91.97

⁸ उत्तरवर्ती बिहार राज्य और झारखण्ड के बीच दिनांक 14.11.2000 तक के लिए संयुक्त बिहार राज्य के शेष का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है (अगस्त 2018)।

8. सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए विभिन्न संस्थाओं का हिस्सा पूंजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सार

संस्थाओं का नाम	2016-17			2017-18		
	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज की राशि	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेशित राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज की राशि
1	2	3	4	5	6	7
			(₹ करोड़ में)			
1. सांविधिक निगमों	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2. ग्रामीण बैंक 1	1	45.73	0.00	1	45.73	0.00
3. सरकारी कम्पनियाँ 1, 2, 4	15	1,47.30 4	0.00	15	1,70.80	0.00
4. अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियाँ एवं साझेदारियाँ	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5. सहकारी संस्थाएँ एवं स्थानीय निकायें 1, 3	19	1,27.80	0.00	21	1,60.34	0.00
	जोड़ 35	3,20.83 5	0.00	37	3,76.87	0.00

1 संस्थावार तथा मुख्य शीर्षवार निवेश की विस्तृत विवरण हेतु कृपया विवरण संख्या 19 देखें।

2 व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे) में ₹43.35 करोड़ शामिल है।

3 व्यय शीर्ष (राजस्व लेखे) में ₹58.37 करोड़ शामिल है।

4 (i) झारखण्ड राज्य बिजनेस निगम का अथ शेष ₹3.00 करोड़ कम हो गया है क्योंकि इसे शीर्ष 0039 के अन्तर्गत चालान संख्या 24 दिनांक 8.12.14 के द्वारा वापस कर दिया गया था।

(ii) झारखण्ड सरकार ने पत्र संख्या 2209, 2210 और 2211 दिनांक 5.9.2018 के द्वारा तीन सरकारी कम्पनियों : झारखण्ड शहरी अवसंरचना विकास निगम लि. (जुडकोल), झारखण्ड राज्य रेशम हस्तशिल्प विकास निगम लि. (झारकापट) तथा झारखण्ड राज्य पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लि. (झालको) में क्रमशः ₹ 35.00 करोड़, ₹10.00 करोड़ और ₹5.00 करोड़ की राशि के निवेश की सम्पूटि की है।

(iii) ऊपर दिये गए विवरण के अनुसार तीन कम्पनियों को शामिल किये जाने के फलस्वरूप संस्थाओं की संख्या में 12 से 15 तक वृद्धि हुई है।

5 पाद टिप्पणी 4 में दिये गये विस्तृत विवरणों के अनुसार अथ शेष को पुनरिक्षित किया गया है।

9. सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण

(i) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा 31 मार्च 2018 को विभिन्न खण्डों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है:-

खण्ड (गारंटियों की सं० कोष्ठक में)	अधिकतम गारंटीड राशि	वर्ष 2017-18 के आरंभ में बकाया	वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2017-18 के दौरान विलोपित (याचित से भिन्न)	वर्ष 2017-18 के दौरान याचित		वर्ष 2017-18 के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस		अन्य वस्तुपरक विवरण
					भुगतान किया गया	भुगतान नहीं किया गया		प्राप्त किये जाने योग्य	प्राप्त किया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ करोड़ में)										
आर्थिक क्षेत्र (ऊर्जा)	0.00	1,57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,57.15	0.00	0.00	0.00

(ii) सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों आदि की वापसी के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा दी गई गारंटियां तथा 31 मार्च 2018 को विभिन्न वर्गों में बकाया गारंटीड के योग को नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ग एवं खण्ड	राज्य गारंटी का साख पत्र की संख्या	सुविधाजन्य पत्रों द्वारा जारी कुल राशि	याचनाओं का विवरण, यदि कोई हो	अन्य वस्तुपरक विवरण
1	2	3	4	5
(₹ करोड़ में)				
आर्थिक क्षेत्र (ऊर्जा)	डब्ल्यू.एण्ड एम. (13)18/2012-64/ बजट दिनांक 07.02.2013	1,57.15	झारखण्ड सरकार द्वारा डी.भी.सी. से क्रय की जा रही विद्युत के विरुद्ध मासिक विपन्न के भुगतान हेतु, अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने के लिये झारखण्ड विद्युत बोर्ड को राज्य गारंटी प्रदान की गई।	इसके अतिरिक्त लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाने हेतु प्रपत्र पर ऊर्जा विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा राज्य गारंटर के रूप में हस्ताक्षर की जायेगी।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण
(i) रोकड़ में भुगतान किए गए सहायक अनुदान

अनुदानित संस्थाएं	निर्गत अनुदान				पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	
	2017-18			कुल योग	2016-17	2017-18
	स्थापना व्यय	राज्य योजना, के.प्रा. स्कीम और के.से. स्कीम	राज्य योजना, के.प्रा. स्कीम और के.से. स्कीम			
(₹ करोड़ में)						
1. पंचायती राज संस्थाएं						
(i) जिला परिषद	0.00	12,70.13	12,70.13	25,33.77	9,60.57	21,31.46
(ii) पंचायत समितियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) ग्राम पंचायत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. शहरी स्थानीय निकाय						
(i) नगर निगम	2.67	0.00	2.67	90.81	0.00	0.00
(ii) नगर पालिका/ नगर परिषद	0.00	11,52.44	11,52.44	28,70.33	0.00	0.00
(iii) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम						
(i) सरकारी कम्पनियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) सौविधिक निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. स्वायत्तशासी निकाय						
(i) विश्वविद्यालय	4,82.91	1,88.76	6,71.67	11,33.03	2,17.53	2,04.43
(ii) विकास प्राधिकार	29,92.61	44,54.80	74,47.41	39,15.39	16,00.29	4,10.14
(iii) सहकारी संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) अन्य	3,75.13	29,36.84	33,11.97	28,94.17	9,91.67	16.35
5. गैर-सरकारी संगठन						
(i) गैर-सरकारी संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. अन्य						
	2,35.32	66,22.38	68,57.70	68,94.52	26,71.67	40,28.56
जोड़	40,88.64	1,66,25.35	2,07,13.99	2,03,32.03	64,41.73	67,90.94

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण-क्रमांत
(ii) सामग्रियों में भुगतान किए गए सहायक अनुदान

अनुदानित संस्थाएं	निर्गत अनुदान			पूँजी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	
	2017-18				
	स्थापना व्यय	राज्य योजना, के.प्रा. स्कीम और के.से. स्कीम	कुल योग		
<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायती राज संस्थाएं <ol style="list-style-type: none"> (i) जिला परिषद (ii) पंचायत समितियां (iii) ग्राम पंचायत 2. शहरी स्थानीय निकाय <ol style="list-style-type: none"> (i) नगर निगम (ii) नगर पालिका/ नगर परिषद (iii) अन्य 3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <ol style="list-style-type: none"> (i) सरकारी कम्पनियाँ (ii) सांविधिक निगम 4. स्वायत्तशासी निकाय <ol style="list-style-type: none"> (i) विश्वविद्यालय (ii) विकास प्राधिकार (iii) सहकारी संस्थाएं (iv) अन्य 5. गैर-सरकारी संगठन 6. अन्य 			2016-17	2017-18	2016-17

(₹ करोड़ में)

राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है (अगस्त 2018)।

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

व्यौरे	2017-18		2016-17			
	प्रभारित	दत्तमत	कुल जोड़	प्रभारित	दत्तमत	कुल जोड़
			(₹ करोड़ में)			
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	47,59.95	4,61,92.12	5,09,52.07	42,46.13	4,08,42.91	4,50,89.04
व्यय शीर्ष (पूजीगत लेखा)	0.00	1,19,52.70	1,19,52.70	0.00	1,08,60.68	1,08,60.68
लोक ऋण, कर्ज तथा उधार, अन्तर्राज्यीय परिशोधन और आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण ¹	29,49.50	18,51.67	48,01.17	20,77.88	13,35.06	34,12.94
जोड़	77,09.45	5,99,96.49	6,77,05.94	63,24.01	5,30,38.65	5,93,62.66
ड लोक ऋण						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	27,88.46	0.00	27,88.46	19,20.39	0.00	19,20.39
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,61.04	0.00	1,61.04	1,57.50	0.00	1,57.50
च कर्ज और पेशगियां ²						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	31.70	31.70	0.00	46.88	46.88
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	17,64.38	17,64.38	0.00	12,35.72	12,35.72
सरकारी सेवकों आदि को कर्ज	0.00	55.59	55.59	0.00	52.46	52.46
विविध उद्देश्यों के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छ अन्तर्राज्यीय परिशोधन						
अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ज आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण						
आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

¹ विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या 18 तथा 21 में दिये गए हैं।

² विस्तृत लेखे विवरण संख्या 18 में दिये गए हैं।

11. दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण-क्रमांत

(i) वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष प्रभारित व्यय और दत्तमत व्यय की प्रतिशतता निम्नवत थी।

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2016-17	10.65	89.35
2017-18	11.39	88.61

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण

	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान	31 मार्च 2018 को
		(₹ करोड़ में)	
पूँजी तथा अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय (उप-खण्ड-वार) -			
(i) सामान्य सेवाएं -			
अन्य राजकोषीय सेवाएं	84.31	56.01	1,40.32
पुलिस	12,30.10	3,71.97	16,02.07
लोक निर्माण कार्य	13,49.12	3,78.41	17,27.53
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	83.16	0.72	83.88
(ii) सामाजिक सेवाएं-			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	19,05.09	3,60.27	22,65.36
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	23,56.78	3,09.49	26,66.27
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	49,30.09	5,32.20	54,62.29
सूचना तथा प्रचार	9.85	10.90	20.75
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	18,03.39	2,65.29	20,68.68
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5,78.78	16.53	5,95.31
अन्य सामाजिक सेवाएं	75.27	33.39	1,08.66
(iii) आर्थिक सेवाएं-			
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	9,37.25	6,07.33	15,44.58
ग्राम विकास	1,30,69.00	20,92.79	1,51,61.79
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	75,01.59	16,89.15	91,90.74
ऊर्जा	2,03.23	0.00	2,03.23
उद्योग तथा खनिज	21.38	15.50	36.88
परिवहन	1,84,94.27	51,41.76	2,36,36.03
सामान्य आर्थिक सेवाएं	4,01.32	71.00	4,72.32
जोड़ - पूँजीगत व्यय	5,50,33.98	1,19,52.71	6,69,86.69
पूँजीगत प्राप्ति	0.00	25.09	25.09
निवल पूँजीगत व्यय	5,50,33.98	1,19,27.62	6,69,61.60

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण-क्रमशः

	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2018 को
कर्ज तथा उधार -			
विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज तथा उधार :-			
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	6,74.46	31.70	7,06.16
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	(-)0.49	0.00	(-)0.49 ¹
कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	65.16	(-)0.62	64.54
ग्राम विकास	22.70	2.81	25.51
ऊर्जा	1,66,83.53	17,60.67	1,84,44.20
उद्योग तथा खनिज	27.65	0.00	27.65
अन्य सामान्य अर्थिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	9.70	14.71	24.41
जोड़ - कर्ज तथा उधार	1,74,82.71	18,09.27	1,92,91.98
कुल - पूंजी तथा अन्य व्यय	7,25,16.69	1,37,36.89	8,62,53.58⁽²⁾
	0.00	0.00	0.00
निवल - पूंजी तथा अन्य व्यय	7,25,16.69	1,37,36.89	8,62,53.58
जोड़ - ऋण	5,19,20.27	52,53.86	5,71,74.13
उत्तरवर्ती राज्यों, बिहार एवं झारखण्ड के बीच संयुक्त बिहार के शेषों का बँटवारा नहीं होने के कारण ऋणात्मक शेष है (अगस्त 2018)।			
विवरण संख्या 17 में शीर्ष 6004 का अथ शेष में बदलाव किए जाने के फलस्वरूप अथ शेष को पुनरिक्षित किया गया है।			
राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	4,86,82.31	51,16.78	5,37,99.09
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	21,62.29 ²	70.57	22,32.86
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	10,75.67	66.51	11,42.18

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण-क्रमशः

	1 अप्रैल 2017 को	वर्ष 2017-18 के दौरान	31 मार्च 2018 को
	(₹ करोड़ में)		
अन्य दायित्व-			
आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण	5,00.00	0.00	5,00.00
आरक्षित निधि	12,59.21	2,91.83	15,51.04
जमा तथा अग्रिम	1,36,42.55	47,21.54	1,83,64.09
उर्चत तथा विविध (सरकारी लेखे एवं रोकड़ शेष निवेश लेखे में बंद राशि को छोड़कर)	85.58	(-)2,55.75	(-)1,70.17
प्रेषण	(-)52.80	92.47	39.67
	1,54,34.54	48,50.09	2,02,84.63
जोड़ अन्य दायित्व			
	6,73,54.81	1,01,03.95	7,74,58.76
घटाएँ - रोकड़ शेष	5,02.26	(-)7,44.42	(-)2,42.16 ³
घटाएँ - निवेश	14,39.09	(-)10,84.53	3,54.56
निधियों का निवल प्रावधान	6,54,13.44	1,19,32.93	7,73,46.37 ^(b)
वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)		18,03.96	
अन्तर्राज्यीय परिशोधान			
		1,37,36.89	

2017 - 18 के लिए निधियों का निवल प्रावधान

³ कृपया विवरण संख्या 21 का पृष्ठ संख्या 433 में टिप्पणी 4 देखें।

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विवरण-क्रमांत

(ट) और (ठ) - 31.3.2018 को निवल पूंजी एवं अन्य व्यय (ट) और निधियों का निवल प्रावधान (ठ) के बीच ₹ 89,07.21 करोड़ का अन्तर था, जिसकी व्याख्या नीचे दी गई है :-

(₹ करोड़ में)		
(1)	31.03.2017 को संचित राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)	1,44,22.58
(2)	राजस्व अधिशेष (2017-18)	18,03.96
(3)	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	(-)5,00.00
(4)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए लोक ऋण	(-)59,61.94
(5)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए रोकड़ शेष	(-)28.72
(6)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए अंतर्राज्यीय परिशोधन शेष 2008-09	(-)1,45.87
(7)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए अंतर्राज्यीय परिशोधन शेष 2010-11	1.40
(8)	संयुक्त बिहार से पृथक हुए अंतर्राज्यीय परिशोधन शेष 2011-12	(-)75.41
(9)	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में के.प्रा.यो. तथा के.यो.यो. के कर्ज को अपलेखित किया गया।	20.61
(10)	2012-13 के दौरान बिहार की पेंशन देयता के भुगतान से संबंधित अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)1,00.00
(11)	2013-14 के दौरान बिहार की पेंशन देयता के भुगतान से संबंधित अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)50.00
(12)	बकाया कोषागार उचर्त के शेषों को समाप्त कर दिया गया	(-)9.49
(13)	स्वपरिखा परियोजना पर उड़ीसा शेयर का समयोजन तथा लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रेषण के बीच गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप शीर्ष 8782-102-लोक निर्माण कार्य प्रेषण के अन्तर्गत बकाया शेषों को ड्राप किया गया।	(-)4,69.91
जोड़		89,07.21

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

अ. 31 मार्च 2018 को शेष की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

नाम शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
5,80,54.39	क से घ, छ, ज और ठ का भाग	समेकित निधि	
	इ	सरकारी लेखा ¹	
	च	लोक - ऋण	5,60,31.94
1,92,91.97		कर्ज तथा उधार	
		आकस्मिकता निधि	5,00.00
		लोक - लेखा	
	झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	
		(ख) राज्य भविष्य निधियां	21,72.42
		(ग) अन्य लेखे	(-)10,30.24
	ञ	आरक्षित निधि	
		(क) आरक्षित निधि, ब्याज वाली जमा	15,51.04
		(ख) आरक्षित निधि बिना ब्याज वाली जमा	0.00
		सकल शेष	
		निवेश	

¹ "सरकारी लेखा" के अन्तर्गत यह आंकड़ा कैसे निकाला गया इसे समझने के लिए पृष्ठ संख्या 50 पर कृपया "ब" देखें।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा
के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमशः

नाम शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
	₹	जमा तथा अग्रिम- (क)- ब्याज वाली जमा (ख) बिना ब्याज वाली जमा (ग) अग्रिम उचंत तथा विविध निवेश अन्य मदें (निवल) प्रेषण	13.52 1,83,56.35
5.77	₹		
3,54.56	₹		
(-),2,42.16	₹	रोकड़ शेष (अन्त) ²	(-),1,70.17 39.67
7,74,64.53		जोड़	7,74,74.53

² रोकड़ शेष में सम्मिलित "रिजर्व बैंक के पास जमा" के संबंध में खाते में दिखाए गए आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़े में अंतर है। यह भिन्नता समाधान के अन्तर्गत है। विस्तृत विवरण के लिये खण्ड II के विवरण संख्या 21 का ढ-रोकड़ शेष के अन्तर्गत पाद टिप्पणी 4 का अवलोकन करें।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश - क्रमांत

ब. सरकारी लेखा- सरकारी लेखाओं में अनुसरित बही-खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत पुस्तकित राशियां तथा सरकार के अन्य लेन-देन, जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं लाये जाते एक ही शीर्ष में संवरित किए जाते हैं जिसे सरकारी लेखा कहा जाता है। इस शीर्ष का शेष ऐसे ही सभी लेन-देनों के संचयी परिणाम का घातक होता है।

इस शेष के साथ लोक - ऋण, कर्ज और पेशगियां, उचत और विविध (विविध सरकारी लेखा को छोड़कर), प्रेषण और आकस्मिकता निधि के शेषों को जोड़कर वर्ष के अंत में शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्षों में सरकारी पुस्तकों के उन सभी लेखा शीर्षों के शेष शामिल किये गये हैं, जिनमें सरकार पर प्राप्त किये गये धन को वापस करने का दायित्व होता है या जहां सरकार भुगतान की गई रकम वसूल करने का दावा रखती है और इसके साथ ही ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी शामिल हैं, जो प्रेषण से संबंधित लेन-देन के समयोजन के लिए पुस्तकों में खोले जाते हैं।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को झारखण्ड सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इनके अंतर्गत भूमि, इमारतें, संचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है, जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण किए जानेवाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अंतर्गत हिसाब में नहीं लिया जाता है।

वर्ष के अंत में सरकारी लेखा में निवल नामे रकम इस प्रकार निकाली गई है:-

नामे	ब्योरे	जमा
(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
4,79,30.73	क- 01 अप्रैल 2017 को सरकारी लेखे में डेबिट की राशि	
	ख- (i) प्राप्त शीर्ष (राजस्व लेखा)	5,27,56.03
	(ii) प्राप्त शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	25.09
5,09,52.07	ग- व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
1,19,52.71	घ- व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
0.00	च- अन्तरज्यीय समाशोधन	
0.00	ज- आकस्मिकता निधि में अंतरण	
	छ- 31 मार्च 2018 को सरकारी लेखे में डेबिट की राशि	5,80,54.39
11,08,35.51	जोड़	11,08,35.51

(i) कई मामलों में "प्राप्तियां, संवितरण तथा आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा का विवरण" (विवरण संख्या 21) में दिखाये गये अंतशेषों और लेखा कार्यालयों/विभागीय कार्यालयों में इस उद्देश्य से रखे जाने वाले अलग रजिस्ट्रों अथवा अभिलेखों के अंतशेषों में असमाधानित अन्तर है। विसंगतियों के यथाशीघ्र निपटारे के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) शेषों के सत्यापन और उनकी स्वीकृति के लिये अधिकारियों को प्रतिवर्ष सूचित किया जाता है। बहुत से मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(iii) कुछ मामलों में जहां बड़ी राशियों के शेषों का सत्यापन और उनकी स्वीकृति अप्राप्त रहे, परिशिष्ट VII में दर्शाये गये हैं।

(iv) वैसे मामलों में जहां शेषों के सत्यापन के लिए पूरे ब्योरे अभिलेख अपेक्षित हैं, परिशिष्ट VII में दर्शाये गए हैं।

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. लेखाकरण नीतियों के अभिप्राय का सारांश:

- (i) **विद्यमानता और लेखाकरण अवधि:** ये लेखे झारखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लेन-देनों को प्रस्तुत करता है तथा 26 जिला कोषागारों, 01 साइबर कोषागार (फरवरी 2017 से महालेखाकार को सीधे लेखा प्रस्तुत करने हेतु), 06 उप कोषागारों, 253 लोक निर्माण-कार्य प्रमंडलों (नदी घाटी परियोजनाओं सहित), 113 वन प्रमंडलों द्वारा प्रेषित आरंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक के एड्भाइसों के आधार पर तैयार किए गए हैं। मासिक लेखे के प्रेषण में विलम्ब नगण्य रहा तथा 31 मार्च 2018 को कोई भी लेखा असम्मिलित नहीं रहा।
- (ii) **लेखाकरण का आधार :** कुछ खाता समायोजनों (अनुबंध 'क') को छोड़कर ये लेखे लेखा अवधि के दौरान हुए वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करता है। भौतिक परिसम्पत्तियों और वित्तीय सम्पत्तियों यथा निवेश इत्यादि को ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया गया है, जैसे कि अधिग्रहण/खरीदे जाने के वर्ष के मूल्य पर। भौतिक परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसम्पत्तियों के जीवनकाल के अंत में हुई हानियों को भी व्ययित या मान्यता नहीं दी गई है।
- लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृत्ति हितलाभों को लेखे में दर्शाया गया है, परंतु सरकार के भविष्य में होने वाले पेंशन दायित्वों, जैसे कि अपने कर्मियों के विगत समय तथा वर्तमान सेवा के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ के भुगतान के दायित्व को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं :** झारखण्ड सरकार के लेखे भारतीय रूपया (₹) में संधारित किया जाता है।
- (iv) **लेखे का फार्म :** संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को वैसे फार्म में रखा जाता है, जिसे राष्ट्रपति एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सलाह पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द 'फार्म' का व्यापक अर्थ, लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत फार्म का निर्धारण ही नहीं, बल्कि लेन-देनों के वर्गीकरण के तहत उचित शीर्षों के चुनाव के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।
- (v) **राजस्व तथा पूंजी के बीच वर्गीकरण :** राज्य सरकार ने ₹ 714.41 करोड़ (वेतन, निर्वाह, कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता इत्यादि) की राशि राजस्व प्रभाग के बदले पूंजी प्रभाग के अंतर्गत खर्च किया है। इनका विस्तृत विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

2. लेखा की गुणवत्ता

(i) वस्तु एवं सेवा कर

अग्रिम विभाजन और गैर-विभाजित एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का अवक्रमण (आई.जी.एस.टी.) :

चौदवें वित्त आयोग की सिफारिश के आलोक में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में जारी स्वीकृति आदेशों के अनुसार ₹ 281.00 करोड़ की राशि क्रमशः आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन एवं ₹ 2,134.44 करोड़ की राशि झारखंड सरकार को सेवाकर के अवक्रमण स्वरूप मिली थी।

(ii) लघु शीर्ष “800” - ‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत दर्ज आँकड़े

12 राजस्व, पूँजी तथा ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत ₹ 2,006.67 करोड़ की राशि को लघु शीर्ष “800-अन्य व्यय” के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। वैसे उदाहरण जिनमें उल्लेखित अनुपात (10 प्रतिशत या अधिक) जो लघु शीर्ष “800-अन्य व्यय” के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, को अनुबन्ध ‘ग’ में सूचीबद्ध किया गया है। इसी तरह, प्राप्त पक्ष में 49 राजस्व लेखा मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,107.08 करोड़ संबंधित मुख्य शीर्षों के लघु शीर्ष “800-अन्य प्राप्तियाँ” के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। लघुशीर्ष 800 के नियमित संचालन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लेखे की अपारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। वैसे उदाहरण जिनमें प्राप्तियों का उल्लेखित अनुपात (10 प्रतिशत या अधिक) जो लघु शीर्ष “800-अन्य प्राप्तियाँ” के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, को अनुबन्ध ‘घ’ में सूचीबद्ध किया गया है।

(iii) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से अदृश्य व्यय हेतु सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत है एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र, व्यय के सब व्हाउचरों सहित आकस्मिक विपत्र की निकासी के एक माह के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। अभी तक वर्ष 2000-01 से 2017-18 (31 मार्च 2018 की स्थिति) तक ₹ 5,341 करोड़ के कुल 18,568 ए०सी० विपत्र लम्बित है। विलम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किए गए व्यय को अनियमित बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए हैं :-

1 : संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए०सी०) की सारणी

वर्ष	लम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों (डी०सी०) की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16 तक	17,887	4,191
2016-17	374	548
2017-18	307	602
योग	18,568	5,341

मुख्य चूककर्ता विभाग जिन्होंने विस्तृत आकस्मिक विपत्र (DC) प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, वे हैं - ग्रामीण विकास विभाग - ग्रामीण विकास प्रभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र - 2,851, राशि ₹ 1,231.78 करोड़ कुल राशि का प्रतिशत - 23.06), कल्याण विभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र - 1,949, राशि - ₹ 586.92 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत 10.99), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र - 1,766, राशि - ₹ 539.59 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 10.10), महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र-3,083, राशि-₹ 533.78 करोड़ कुल राशि का प्रतिशत 9.99), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग - गृह प्रभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र - 1,414, राशि - ₹ 235.12 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 4.40), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग - कृषि प्रभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र - 569, राशि - ₹ 181.38 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 3.40), विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग - प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा

प्रभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र - 205, राशि - ₹ 163.59 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 3.06), ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती प्रभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र - 285, राशि - ₹ 140.56 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 2.63), पर्यटन, कला संस्कृति खेल एवं युवा मामलों का विभाग - कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामलों का प्रभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र - 436, राशि - ₹ 136.97 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 2.56) एवं विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग - माध्यमिक शिक्षा प्रभाग (बकाया संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र - 106, राशि - ₹ 95.90 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 1.80)।

वर्ष 2017-18 में आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी की गई ₹ 1,209 करोड़ में से केवल मार्च 2018 में ₹ 233 करोड़ (19.27 प्रतिशत) की निकासी की गई, जिसमें से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 40 करोड़ (3.31 प्रतिशत) की निकासी आकस्मिक विपत्रों द्वारा की गई। मार्च माह में आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध किये गये महत्वपूर्ण व्यय दर्शाता है कि यह निकासी केवल बजट प्रावधान को खर्च करने के लिए ही की गई तथा यह बजट पर नियंत्रण की न्युनता को भी उद्घाटित करता है। इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया, तथापि कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

(iv) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 2016 के नियम 261 के तहत सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी के प्राधिकार अधीन स्वीकृत राशि को छोड़कर सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान, अंशदान इत्यादि की राशि को कोषागार में संवितरित नहीं किया जा सकेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में आहरित राशि के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संस्वीकृति प्राधिकारी को स्वीकृत्यादेश निर्गत करना चाहिए। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए, निहित उद्देश्यों के लिए अनुदान कि उपयोगिता पर आश्वासन नहीं प्रदान किया जा सकता। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे अंकित है:-

2 : बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की सारणी

वर्ष ¹	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16 तक	7,318	10,678.82
2016-17	9,054	10,751.41
2017-18	5,019	17,481.36
योग	21,391	38,911.59

¹ उपर वर्णित वर्ष 'बकाया वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक निकासी के 12 माह के पश्चात्।

इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

मुख्य चूककर्ता विभाग जिन्होंने बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है वे हैं - शहरी विकास विभाग (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र - 6,206, राशि - ₹ 8,304.80 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 21.34), मानव संसाधन विभाग (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र - 2,226, राशि - ₹ 8,121.84 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 20.87), पंचायती राज एवं एनआरईपी (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र - 1,601, राशि - ₹ 7,003.35 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 17.99), ऊर्जा विभाग (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र - 54, राशि - ₹ 5,360.12 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 13.78), ग्रामीण विभाग (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र - 420, राशि - ₹ 4,135.86 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 10.63), कल्याण विभाग (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र - 7,744, राशि - ₹ 1,842.67 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 4.74), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र - 89, राशि - ₹ 1,622.14 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 4.17), उद्योग विभाग (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र -

839, राशि - ₹ 486.04 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 1.25), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र - 12, राशि - ₹ 411.05 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 1.06) एवं कृषि तथा गन्ना विभाग (बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र - 342, राशि - ₹ 332.01 करोड़, कुल राशि का प्रतिशत - 0.85)।

(v) प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान

झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) के अंतर्गत, सभी नियंत्री पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महालेखाकार (लेखा एवं हक०) द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्ति एवं व्यय का मिलान करें।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 29,675.67 करोड़ का व्यय, जो कि (43.83 प्रतिशत) है तथा ₹ 46,182.49 करोड़ की प्राप्ति, जो कि (75.76 प्रतिशत) है, क्रमशः नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय के लिये 63.88 प्रतिशत (180 नियंत्रण पदाधिकारी में 115) तथा प्राप्तियों के लिये 30 प्रतिशत (100 नियंत्रण पदाधिकारी में 30) के द्वारा ही मिलान किया गया। जो वार्षिक लेखे में प्राप्तियों तथा व्यय के आँकड़ों की शुद्धता तथा आश्वासन को सीमित करता है। इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।

(vi) रोकड़ शेष

महालेखाकार (लेखा एवं हक०) द्वारा संकलित एवं 31 मार्च 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित रोकड़ शेष ₹ 219.24 करोड़ (जमा) के अन्तर में से ₹ 217.63 करोड़ की राशि, जो वर्ष 2017-18 से संबंधित है, भारतीय रिजर्व बैंक, पटना को मिलान हेतु भेज दिया गया है जबकि अक्टूबर 1987 के पूर्व के ₹ 1.61 करोड़ का समाशोधन/अपलेखन के लिए राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच चर्चा जारी है।

(vii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन :

राज्य सरकार द्वारा राज्य/जिला स्तरीय स्वशासी निकायों एवं प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (राज्यांश) एवं राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधि उपलब्ध करायी जाती है। चूंकि सामान्यतः क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में पूर्णतः व्यय नहीं की जाती है, जिसके फलस्वरूप वर्ष के अन्त में क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बैंक खातों में अव्ययित शेष पड़े रह जाते हैं। क्रियान्वयन करने वाले अभिकरणों के बैंक खाते में अव्ययित कुल शेषों, जिसे सरकारी लेखे के बाहर रखा जाता है, को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। अतः लेखे में प्रतिबिम्बित सरकार के व्यय को उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता है।

3. अन्य मद

(i) सेवानिवृति हितलाभों पर दायित्व

2017-18 के दौरान राज्य सरकार का 30.11.2004 को या उससे पहले के बहाल कर्मियों को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ में शीर्ष 2071-117 के अन्तर्गत कर्मचारियों के अंशदान ₹ 383.16 करोड़ को छोड़कर ₹ 5,530.08 करोड़ व्यय हुआ (कुल राजस्व व्यय का 10.85 प्रतिशत)। राज्य सरकार द्वारा 01.12.2004 से प्रभावित भर्तियों को नई पेंशन योजना के अनुसार मान्यता दी गई, जिसे अंशदायी पेंशन योजना के रूप में परिभाषित किया गया। नई योजना के अनुसार, कर्मी अपने मासिक वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करेंगे, जिसमें राज्य सरकार का समान योगदान होगा तथा सम्पूर्ण राशि को नेशनल सिव्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से पदधारी निधि प्रबंधक को स्थानांतरित किया जाएगा। कर्मियों को दिये जाने वाले वास्तविक राशि तथा राज्य सरकार द्वारा इसकी समराशि का निर्धारण नहीं किया गया है। जबकि राज्य सरकार ने वर्ष के लिए कर्मियों का अंशदान (₹ 382.47 करोड़) को लोक लेखा एवं उसके बाद एन०एस०डी० एल०/ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित करने के लिए सही लेखाकरण पद्धति अपनाया, वहीं नियोक्ता अंशदान

(₹ 383.16 करोड़) को लोक लेखे में स्थानांतरित न कर सीधे एन.एस.डी.एल.ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित कर दिया गया। चूँकि राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अन्तर्गत लेन-देनों के विवरणों को लोक लेखा में शेषों से भिन्न प्रत्येक वर्ष सरकारी लेखों को बन्द किये जाते हैं। इसमें जो प्रक्रिया अपनायी गई उससे पूर्व वर्षों में किये गये सरकारी अंशदान के विवरणों का मूल्यांकन करना कठिन है।

31 मार्च 2018 को मुख्यशीर्ष 8342-अन्य जमा, 117-सरकारी परिभाषित अंशदायी योजना में कर्मचारी अंशदान का ₹ 13.52 करोड़, एन.एस.डी.एल. को स्थानांतरित नहीं किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार द्वारा उन शेषों पर ब्याज का भुगतान अपेक्षित है जो कि नहीं किया गया। फलतः इस योजना के अन्तर्गत उपार्जित ब्याज सहित असंग्रहित, असंगत एवं अस्थानांतरित राशियाँ बकाया दायित्वों को इंगित करती है।

(ii) पेंशन दायित्वों एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों का बंटवारा

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आठवें अनुसूची की धारा 53 के शर्तों के अनुसार 15 नवंबर 2000 (बिहार एवं झारखंड राज्य के बंटवारे की तिथि) से 31 मार्च 2001 तक एवं प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखंड के कर्मचारियों के पेंशन दायित्वों का बंटवारा कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में उत्तरवर्ती राज्यों बिहार एवं झारखंड के बीच किया जाना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा किये गये दावे एवं झारखंड सरकार द्वारा किये गये भुगतान का विवरण इस प्रकार है -

(₹ करोड़ में)

बिहार सरकार द्वारा किया गया दावा		झारखंड सरकार द्वारा किया गया भुगतान		
वर्ष	राशि	वर्ष	पत्र संख्या एवं दिनांक	राशि
15.11.2000 से 31.03.2011	2,584.09 ²	2011-12	725, दिनांक 30.03.2012	50.00
2011-12 से 2012-13	771.37	2012-13	778 दिनांक 30.03.2013	100.00
2013-14 से 2015-16	816.02	2013-14	1324 दिनांक 28.05.2013	100.00
			162 दिनांक 20.01.2014	298.17
		2015-16	989 दिनांक 30.03.2016	175.00
2016-17	337.54	2016-17	1739 दिनांक 15.06.2016	13.65
2017-18	अभी तक सूचित नहीं किया गया है।	2017-18	306 दिनांक 08.02.2018	200.00
कुल	4,509.02			936.82

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि झारखंड सरकार ने तदर्थ आधार पर भुगतान किया है। बिहार सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए कोई भी मांग का दावा प्रस्तुत नहीं किया। इसीलिए, शीर्ष “2071” के अंतर्गत आँकड़े उस सीमा तक कम हो जाते हैं।

² झारखंड सरकार ने मई 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मूल सूट संख्या 1/2012 को दायर किया है, जो बिहार सरकार द्वारा दावा की गयी पेंशन देयता के भुगतान को चुनौती देती है, जो अभी भी उप-न्याय के अधीन है।

(iii) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का बंटवारा :

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में यह प्रावधानित है कि उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के शेषों का बंटवारा 15 नवम्बर 2000 (बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के विभाजन की तिथि) से किस प्रकार किया जाये। पूंजी अनुभाग (मुख्य शीर्ष '4059' से '5475'), कर्ज एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष '6202' से '7615') के अन्तर्गत 14 नवम्बर 2000 तक का प्रणामी व्यय तथा रिजर्व बैंक के साथ जमा के अतिरिक्त भाग - III लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों को 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि का बिहार सरकार के वित्त लेखे में आरम्भिक शेषों के

रूप में स्थानान्तरित किया गया था। 15 नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2001 तक की अवधि का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे में इन शीर्षों के लिये आरम्भिक शेषों को शून्य के रूप में लिया गया था।

पेंशन दायित्वों के बंटवारे के साथ-साथ कुछ परिषदों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि के स्वामित्व के लिये झारखण्ड सरकार ने वैधिक आश्रय लिया है।

वित्त लेखे में समायोजन के लिये लेखाकरण से पूर्व बंटवारा हेतु विस्तृत परिशिष्टों को महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के पास वर्ष 2014 में सहमति हेतु भेजा जा चुका है। तथा इन शेषों की समाविष्टी, सहमति मिलने के पश्चात् ही किया जायेगा।

सार में, लोक ऋण एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित रोकड़ शेष के अन्तर्गत शेषों का बंटवारा किया जा चुका है, जबकि पूंजी अनुभाग (₹ 11,935.23 करोड़), कर्ज एवं अग्रिम (₹ 6,583.36 करोड़) एवं लोक लेखा (₹ 7,443.90 करोड़) के अन्तर्गत शेषों का बंटवारा नहीं किया गया है। विस्तृत विवरण वित्त लेखे 2017-18 के परिशिष्ट-XIII में दिया गया है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

वित्त लेखे के विवरण सं 9, वर्ष के दौरान, सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गए ऋणों के पुर्नभुगतान के लिए, राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा वर्ष के अंत में दी गई गारंटी के बकाया राशि को दर्शाता है। वर्ष 2017-18 तक सरकार द्वारा कोई गारंटी नीति एवं गारंटी विमोचन निधि का आकलन/गठन नहीं किया गया है। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गई है।

दामोदर घाटी निगम से खरीदी गई बिजली के मासिक बिल के भुगतान के लिए भूतपूर्व झारखंड राज्य बिजली बोर्ड, राँची की तरफ से इलाहाबाद बैंक, राँची को ₹ 157.15 करोड़ की राज्य गारंटी दी गई है। इसकी अवधि, नियम एवं शर्तों, जिसके आधार पर गारंटी दी गई थी, की जानकारी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

(v) कर्ज तथा अग्रिम

कर्ज तथा अग्रिम हेतु भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (भा०स०ले०मा०) 3 के अधीन जैसा कि अपेक्षित है वित्त लेखे 2017-18 के विवरण सं०18 में उपलब्ध सूचना अपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इसे सम्पुष्ट नहीं किया गया है। कर्ज तथा अग्रिम से संबंधित अतिदेय मूलधन तथा ब्याज का विस्तृत जानकारी जिसका लेखा राज्य सरकार द्वारा संधारित किया जाता है, प्रतीक्षित है क्योंकि 31 मार्च 2018 तक के शेषों पर राज्य सरकार से सम्पुष्टि अप्राप्त है। वैसे ऋणों, जिसका विस्तृत लेखा महालेखाकार (लेखा एवं हक०) द्वारा संधारित किया जाता है उन मामलों में भी राज्य सरकार से व्यक्तिगत कर्जधारकों के शेषों की स्थिति प्रतीक्षित है। इसे वित्त लेखे 2017-18 के परिशिष्ट-VII-1- शेषों की स्वीकार्यता में दर्शाया गया है।

(vi) निवेश

वित्त लेखे के विवरण सं० 8, सांविधिक निगमों में हिस्सा-पूँजी, ग्रामीण बैंको, सरकारी कम्पनियों, कम्पनियों के संयुक्त स्टॉक तथा सहकारिता संस्थानों एवं स्थानीय निकायों में वर्ष 2017-18 के दौरान तथा अंत में किए गए निवेश के तुलनात्मक सारांश को दर्शाता है। विस्तृत निकाय-वार निवेश, वित्त लेखे के विवरण सं० 19 में दिया गया है। ₹ 376.87 करोड़ के कुल निवेश, में से ₹ 101.72 करोड़ (26.99 प्रतिशत) का निवेश राजस्व लेखे से किया गया है।

(vii) गुप्त सेवा निधि के लिए “पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखापरीक्षा” के बकाया प्रमाण-पत्र

झारखंड वित्तीय नियमावली के परिशिष्ट-V का अनुबंध 4 के अनुसार, गुप्त सेवा निधि से हुए व्यय का, सरकार के द्वारा नियुक्त नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा, एक पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखापरीक्षा का संचालन किया जाना है तथा इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०) को निर्धारित प्रपत्र में व्यय से संबंधित वर्ष से अगले वर्ष के 31 अगस्त तक प्रेषित किया जाना चाहिए। नियंत्री पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित प्रत्येक वर्षों से संबंधित प्रमाण-पत्र जिन्हें महालेखाकार (ले० एवं हक०) को 31 मार्च 2018 तक प्रेषित नहीं किया गया है :-

3 : गुप्त सेवा निधि का बकाया प्रमाण-पत्र के लिए सारणी

वर्ष	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	राशि (₹ करोड़ में)	प्रमाण-पत्र उपस्थापन की नियत तिथि
2005-06	आरक्षी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक	8.30	31 अगस्त 2006 को या उससे पहले
2007-08	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	4.50	31 अगस्त 2008 को या उससे पहले
2008-09	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2009 को या उससे पहले
2012-13	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2013 को या उससे पहले
2013-14	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2014 को या उससे पहले
2014-15	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2015 को या उससे पहले
2015-16	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	3.00	31 अगस्त 2016 को या उससे पहले
2016-17	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	3.10	31 अगस्त 2017 को या उससे पहले

(viii) आरक्षित निधियाँ एवं जमा

(क) ब्याज दायित्वों का विमुक्त नहीं किया जाना

लोक लेखा के क्रमशः खण्ड (ज) एवं (ट) के अन्तर्गत ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ तथा ब्याज वाली जमा से संबंधित ब्याज दायित्व वार्षिक दायित्व हैं जिसे राज्य सरकार द्वारा विमुक्त किया जाना अपेक्षित है। 1 अप्रैल 2017 को वैसे आरक्षित निधियाँ एवं जमा में शेषों के वावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न है :-

4 : आरक्षित निधियाँ एवं जमा पर ब्याज दायित्व के लिए सारणी

(₹ करोड़ में)

खण्ड	उप खण्ड	ब्याज दर	2016-17 का आरंभिक शेष	बकाया ब्याज
ज-आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ (रा०आ०मो०नि०)	8.08 प्रतिशत(अर्थोपाय अग्रिम ब्याज दर की औसत)	1,259.21	101.74
ट-जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा (अंशदान पेंशन योजना)	7.77 प्रतिशत(सामान्य भविष्य निधि के शेषों पर देय ब्याज दर)	9.70	0.75
योग				102.49

(ख) समेकित निक्षेप निधि : 12वीं वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्यों द्वारा सभी ऋणों के परिशोधन हेतु निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिए तथा इन ऋणों की क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त इन निधियों का किसी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (भा०रि०बैं०) के दिशा-निर्देशों, के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान निर्धारित है तथा यह निधि के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। राज्य सरकार के पास ₹ 66,826.96 करोड़ की राशि बकाया कर्ज के रूप में है जिसके लिए एक न्यूनतम राशि ₹ 334.13 करोड़ (बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत की दर से) निक्षेप में योगदान के लिए प्राक्कलित थी। वर्ष 2016-17 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा दायित्वों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि का सृजन किया गया है। यद्यपि 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 200 करोड़ तथा ₹ 230 करोड़ के

बजट प्रावधान किये गये थे लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई भी राशि निक्षेप निधि में स्थानांतरित नहीं की गयी थी।

(ग) गारंटी विमोचन निधि : 12 वें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक गारंटी विमोचन निधि का गठन अपेक्षित है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा निर्गत किये गये गारंटियों से उत्पन्न देयताओं के भुगतान को पूरा करने के लिये किया जायेगा। निधि का संचालन राज्य सरकार के लेखे से बाहर किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका प्रचालन किया जाता है। दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा वर्ष के आरम्भ में बकाया गारंटी का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना अपेक्षित है। निधि के आगमों को भारत सरकार के प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है तथा यह राज्य सरकार के अर्थोपाय पेशगियों का हिस्सा नहीं होता है। राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि का सृजन नहीं किया गया है। फलतः ₹ 0.79 करोड़ का न्यूनतम अंशदान, जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2017 को ₹ 157.15 करोड़ के बकाया गारंटियों का 0.50 प्रतिशत है, राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित था। यह अंशदान नहीं किया गया था। निधि का गठन एवं उसमें अंशदान नहीं किये जाने के कारण राज्य के सम्पूर्ण दायित्वों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्राक्कलित नहीं किया जा सका है।

(घ) राज्य आपदा मोचन निधि : 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार ने अपने वर्तमान आपदा राहत निधि को पुनः स्थापित करते हुए वर्ष 2010-11 से “राज्य आपदा मोचन निधि” का प्रचालन प्रारंभ किया। दिशा-निर्देशों के शर्तों के अनुसार, इस निधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में अंशदान करना है। इसके तहत, भारत सरकार ने दो किस्तों यथा जुलाई 2017 एवं जनवरी 2018 में ₹ 300.75 करोड़ विमुक्त किया। राज्य सरकार ने राज्यांश के रूप में ₹ 100.25 करोड़ विमुक्त किया एवं 2017-18 के दौरान ₹ 401.00 करोड़ (₹ 300.75 करोड़ तथा ₹ 100.25 करोड़) दो किस्तों में एसडीआरएफ (SDRF) को स्थानांतरित किया। वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर पहले ही किए गए व्यय को ₹ 109.16 करोड़ तक की सीमा के शेष को निधि के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई (मुख्य शीर्ष 2245-05) एवं राज्य आपदा मोचन निधि में ₹ 1,551.04 करोड़ शेष रहा। दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि में पड़े हुए शेषों को निधि के प्रबंधन के लिए गठित राज्य कार्यकारी समिति (रा०का०स०) द्वारा निवेशित किया जाना अपेक्षित है, जिसे नहीं किया गया। पूर्व के वर्षों के अनिवेशित शेषों पर देय ब्याज को प्राक्कलित नहीं किया गया।

(ix) उचंत एवं प्रेषण शेष

वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों के विभिन्न शीर्षों में बकाया ‘नामे’ एवं बकाया ‘जमा’ शेषों को पृथक रूप से निकाल कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंतर्गत कुछ मुख्य उचंत शीर्षों एवं प्रेषण शीर्षों के सकल आंकड़ों की स्थिति अनुबंध ‘ड’ में दर्शाई गई है।

(x) आकस्मिकता निधि

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधित) अधिनियम, 2015 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान झारखण्ड आकस्मिकता निधि की कुल राशि ₹ 500.00 करोड़ है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान कुल ₹ 337.55 करोड़ की राशि का 49 स्वीकृत्यादेश निर्गत किया, जिसकी प्रतिपूर्ति, अनुपूरक बजट के माध्यम से, वर्ष के अंत में, निधि की कुल राशि को अक्षुण्ण रखते हुए की गई।

(xi) व्यय का प्रवाह

झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 174 के साथ पठित झारखण्ड बजट मैनुअल के नियम 113 के अनुसार, राशि की निकासी, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है, जिसका परित्याग किया जाना चाहिए। तथापि कुल व्यय का 18.23 प्रतिशत मार्च 2018 में व्यय किया गया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उनके 14 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए कुल व्यय का 51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक का व्यय मार्च 2018 में किया गया, जो यह दर्शाता है कि प्राथमिक तौर पर बजट प्रावधान को व्यपगत किए जाने हेतु प्रयास किए गए न कि बजटीय प्रबंधन के अनुपालन में। विस्तृत विवरण अनुबंध ‘च’ में दिए गए हैं।

(xii) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (के० प्रा० यो०) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ० के० स० - ब्लॉक अनुदान रहित) का पुर्नसंरचना

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में योजना आयोग ने 66 छत्र योजनाओं के अंतर्गत 137 के० प्रा० यो० तथा 5 अ० के० स० योजनाओं का निरूपण किया। 1 अप्रैल 2014 और उसके बाद भारत सरकार ने कार्यान्वयन अभिकरणों के बजाय सीधे राज्य सरकार को के० प्रा० यो० / अ० के० स० के लिए केन्द्रीय सहायता निर्गत किया; वैसे निर्गतों को अब “राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि झारखण्ड सरकार के बजट में इन्हें पूर्व की भाँति ही दर्शाया गया, न की के० प्रा० यो० / अ० के० स० / फ्लैगशिप योजनाओं के पुर्नसंरचित ढाँचे के आधार पर।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 10,091.39 करोड़ की राशि को महालेखा नियंत्रक (सी०जी०ए०) के “लोक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था” (पी०एफ०एम०एस०) पोर्टल में झारखण्ड सरकार के राज्य योजना के 77 योजनाओं को, केन्द्रीय सहायता के रूप में, जिसमें से ₹ 7,183.22 करोड़ झारखण्ड में 39 के० प्रा० यो० / अ० के० स० / फ्लैगशिप योजनाओं के लिए दिया गया है, को दर्शाया गया है। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर द्वारा क्लियरेंस मेमो तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा ₹ 7,183.22 करोड़ से संबंधित सहयोगी स्वीकृत्यादेश प्राप्त हुए एवं राज्य सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष ‘1601-केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान’ के अंतर्गत उचित रूप में दर्ज किया गया। चूँकि राज्य सरकार द्वारा योजना व्यय को वर्तमान वर्गीकरण ढाँचे के रूप में दर्शाया जाना जारी है, 39 फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय, जिसे भारत सरकार द्वारा निर्गत राशि से किया गया, के विस्तृत ब्यौरे का आकलन संभव हुआ था तथा जिसे वित्त लेखे 2017-18 के विवरण सं० 15 के अनुबंध II में दिया गया है।

राज्य सरकार के द्वारा शेष 38 योजनाओं पर सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(xiii) राज्य में क्रियान्वयन करनेवाले अभिकरणों (राज्य बजट के बाहर दिखाए गए निधियों) को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानांतरण

महालेखा नियंत्रक (सी०जी०ए०) के पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के अनुसार, क्रियान्वयन अभिकरणों के बजाए सीधे राज्य सरकार को निर्गत किए जाने के भारत सरकार के निर्णय के विपरीत भारत सरकार के द्वारा ₹ 322.36 करोड़ की उल्लेखनीय राशि को 2017-18 के दौरान झारखण्ड में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे निर्गत किया गया। इस प्रकार क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे स्थानांतरण में 2016-17 की तुलना में 3.37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। विस्तृत विवरण वित्त लेखे 2017-18 के अनुबंध VI में दिए गए हैं।

(xiv) अपलेखित केन्द्रीय ऋणों के विरुद्ध किए गए अधिक पुनर्भुगतान का समायोजन

13वें वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का स्वीकृत्यादेश संख्या - 13/2011-12 दिनांक 29 फरवरी 2012 के भारत सरकार के निर्णय के अनुसार केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत, मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय के अलावे) द्वारा राज्य सरकार को दिए गए अग्रिमों का 31 मार्च 2010 को बकाया केन्द्रीय योजनाओं का अपलेखन किया गया। इन अपलेखित ऋणों के विरुद्ध 31 मार्च 2010 के पश्चात् राज्य द्वारा किए गए कर्ज एवं ब्याज का पुनर्भुगतान, यदि कोई हो, को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार से चालू ऋणों के विरुद्ध राज्यों से देय ऋणों के पुनर्भुगतान के विरुद्ध समायोजित किया जाना था। राज्य सरकार ने मूलधन (₹ 2.50 करोड़) एवं ब्याज (₹ 3.23 करोड़) अर्थात् ₹ 5.73 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया इसमें से ₹ 1.76 करोड़ (मूलधन ₹ 0.49 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.27 करोड़) मात्र वित्त मंत्रालय द्वारा समायोजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप मूलधन ₹ 2.01 करोड़ उस सीमा तक सरकार का लोक ऋण अधिक दर्शाया गया।

(xv) केन्द्रीय सड़क निधि (सी०आर०एफ०) से संबंधित लेनदेनों का त्रुटिपूर्ण लेखाकरण

केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेखाकरण प्रक्रिया यह निर्धारित करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायक

अनुदानों की प्राप्तियों को पहले लेखे के राजस्व अनुभाग (मुख्य शीर्ष 1601) में दर्ज किया जाना है, तत्पश्चात् निधि का स्थानांतरण लोक लेखे (मुख्य शीर्ष-8449 अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा उपभेदन) के अंतर्गत राजस्व व्यय (मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु) को नामे करके किया जाना चाहिए। यह इस सिद्धान्त का पालन करता है कि सहायता अनुदानों को उद्देश्यों (पूजीगत या राजस्व) से असंबंधित रूप से राजस्व अनुभाग में दर्ज किया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में, अनुदान के कारण त्रुटिपूर्ण विचलन न हो सके। इसी को, मुख्य शीर्ष 3054/5054 लघु शीर्ष 902 को संबंधित ऋणात्मक नामे के द्वारा “शीर्ष 8449-अन्य जमा” को नामे कर लेखाकरण किया जाना चाहिए।

तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया का विचलन किया गया तथा लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8449-103 का परिचालन नहीं किया गया। भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त ₹ 109.14 करोड़ को राजस्व प्राप्ति के मुख्य शीर्ष-1601-08-108 के अन्तर्गत पुस्तकित किया गया था। चूँकि यह राशि लोक लेखे के माध्यम से भेजा नहीं गया इसलिए सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त किये गये राशि की वास्तविक उपयोगिता के लिए कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ।

(xvi) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ०आर०बी०एम०) अधिनियम, 2007 में प्रकटीकरण:

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के साथ पठित झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2010 के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों, 13 वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अधिसीमाओं तथा वर्ष 2017-18 के लेखे के अनुसार उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :-

5 : एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अधीन लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ की सारणी

क्रम सं०	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1.	वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे में शून्य तक की कमी करना	राज्य सरकार राजस्व अधिशेष के रूप में वर्ष 2017-18 में ₹ 1,803.96 करोड़ की उपलब्धि हासिल की।
2.	वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) ² में 3 प्रतिशत तक की कमी करना	वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा-स०रा०घ०उ० का अनुपात 4.67 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष के अनुपात में 4.02 प्रतिशत से ज्यादा है।

स्त्रोत : वर्ष 2016-17 के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड सरकार के अनुसार स०रा०घ०उ० का आँकड़ा ₹ 2,53,536.11 करोड़ था।

(xvii) वचनबद्ध देयताएं :

बारहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में, जब लेखाकरण की वास्तविकी आधारित व्यवस्था के तहत बदलाव को पसंद किया जा रहा है, केन्द्रीय सरकार के द्वारा लेखाकरण को वास्तविकी आधारित बनाने की ओर कुछ प्रयास की पहल की गई है। यद्यपि, लेखाकरण की वास्तविकी आधारित व्यवस्था के तहत बदलाव के लिए, गमन चरणों में होगा, इसे और अधिक सूचना निर्णायक बनाने हेतु, विवरणों के रूप में कुछ अतिरिक्त सूचनाओं को वर्तमान के रोकड़ लेखाकरण व्यवस्था में जोड़ा जाना चाहिए। इसमें, अन्य के अलावा, जैसे वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीतियों का कार्यान्वयन अथवा भविष्य में रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं से संबंधित भविष्य में वचनबद्ध देयताओं का आँकड़ा शामिल है।

राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए ब्यौरे को आधार मानकर सरकार के वचनबद्ध देयताएं पर वित्त लेखे 2017-18 का परिशिष्ट XII तैयार किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण सूचनाओं का प्रेषण नहीं किया गया है इसलिए, इसी सीमा तक परिशिष्ट अपूर्ण है।

(xviii) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) :

भारत सरकार ने एक नई योजना - उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की स्वीकृति वित्तीय बदलाव एवं बिजली वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के पुनरुद्धार हेतु दी है, जो महत्वपूर्ण रूप से समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करता है। झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उदय के अन्तर्गत सहायता के रूप में कुल ₹ 6,136.37 करोड़ की राशि वितरण कम्पनियों को प्रदान किया गया, जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सहभागी/ऋणदि बैंको को जारी नॉन एस.डी.एल. बॉन्ड्स के द्वारा ₹ 5,553.37 करोड़ की राशि उगाही की गई जबकि राज्य के संचित निधि से ₹ 583.00 करोड़ की राशि दी गई। ₹ 6,136.37 करोड़ की सम्पूर्ण राशि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज के रूप में दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में वितरण कम्पनियों को उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता राशि प्रदान नहीं की गई।

(xix) श्रम सेस :

वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एवं एबोलूशन रूल) के अन्तर्गत शुल्क के रूप में ₹ 312.90 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी। इस राशि को श्रमिकों के कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु श्रम कल्याण बोर्ड को स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित था। फिर भी श्रम विभाग द्वारा अभी भी सेस की वास्तविक राशि की सम्पूष्टि नहीं की गई है, जैसा की राज्य सरकार के पत्र संख्या 29/बी.एस.जी.-03/2017-18/507/बजट, दिनांक 22 नवंबर 2017 द्वारा सूचित किया गया। सेस के रूप में वसूल की गई राशि के कुछ हिस्से सरकारी राजस्व से संबंधित हो सकता है।

(xx) राजस्व अधिशेष/ राजकोषीय घाटे पर प्रभाव :

राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष/ राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (विस्तृत ब्यौरा पूर्ववर्ती कंडिकाओं में दिया गया है) निम्न प्रकार से है:-

6 : राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव की सारणी

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद सं०	मद	राजस्व घाटा पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिकथन	न्यूनकथन	अधिकथन	न्यूनकथन
3(viii)(क)	ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ एवं जमा के अन्तर्गत ब्याज जमा नहीं किया जाना	102.49	-	-	102.49
3(viii)(ख)	समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं किया जाना	334.13	-	-	334.13
3(viii)(ग)	गारंटी विमोचन निधि में अंशदान नहीं किया जाना	0.79	-	-	0.79
	योग (निवल) अधिकथन/ न्यूनकथन	437.41		437.41	

अनुबंध-क

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

क. महालेखाकार के द्वारा किए गए आवधिक समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
		से		को		
1.	राज्य आपदा दायित्व निधि में केन्द्रांश तथा राज्यांश का स्थानांतरण	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	401.00
2.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण सहायता मद में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	109.16
3.	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049	ब्याज अदायगियाँ	8009	राज्य भविष्य निधियाँ	211.49

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से	को		(₹ करोड़ में)	
1.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2053	जिला प्रशासन	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	125.37
2.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2055	पुलिस	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	34.21
3.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	22.20
4.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	24.48
5.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	16.06
6.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	44.02
7.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	35.18
8.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	20.72

अनुबंध-क-क्रमशः
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)
महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला
विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से		को	(₹ करोड़ में)	
9.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	32.79
10.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	32.66
11.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	37.80
12.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	14.86
13.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4408	खाद्य संग्रहण तथा वेअर हाउसिंग पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	22.71
14.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	152.37
15.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा-108 लोक निर्माण कार्य जमा	17.61
16.	लोक निर्माण कार्य जमा निधि में स्थानांतरण	2053	जिला प्रशासन	8448	स्थानीय निधियों को जमा 101 जिला निधि	54.99
17.	जिला निधि के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों की जमा -101 - जिला निधि	91.71

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
		से	को			
18.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2515	पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता	8448	स्थानीय निधियों की जमा - 102 - नगर पालिका निधि	32.80
19.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा-102 - नगर पालिका निधि	1,04.01
20.	नगर निगम/नगर पालिका के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	6217	शहरी विकास के लिए ऋण	8448	स्थानीय निधियों की जमा-102 - नगर पालिका निधि	28.96
21.	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2801	ऊर्जा	8448	स्थानीय निधियों की जमा-108 - राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि	2,791.99
22.	झारखण्ड विद्युत वितरण निगम के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	2801	ऊर्जा	8448	स्थानीय निधियों की जमा-107 - राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि	1,493.14
23.	झारखण्ड विद्युत वितरण निगम के पी.एल. खाता में स्थानांतरण	6801	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	8448	स्थानीय निधियों की जमा-107 - राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि	681.64
24.	झारखण्ड संचरण विकास निगम के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	6801	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	8448	स्थानीय निधियों की जमा-107 - राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधि	1,079.03
25.	पंचायत निकायों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2053	जिला प्रशासन	8448	स्थानीय निधियों को जमा-109 पंचायत निकायों की निधियाँ	20.03

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से	को		(₹ करोड़ में)	
26.	पंचायत निकायों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-109 पंचायत निकायों की निधियाँ	16.67
27.	पंचायत निकायों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों को जमा-109 पंचायत निकायों की निधियाँ	107.80
28.	चिकित्सा निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8448	स्थानीय निधियों को जमा-111 - चिकित्सा तथा दानयोग्य निधियाँ	468.63
29.	चिकित्सा निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-111 - चिकित्सा तथा दानयोग्य निधियाँ	39.69
30.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2053	जिला प्रशासन	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	12.38
31.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2056	कारा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	15.00
32.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2202	सामान्य शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	163.39
33.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2203	तकनीकी शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	189.02
34.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	68.89

अनुबंध-क-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से	को		(₹ करोड़ में)	
35.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	671.00
36.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	163.76
37.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	64.99
38.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2401	फसल कृषि-कार्य	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	110.19
39.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2402	मृदा एवं जल संरक्षण	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	48.53
40.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2403	पशुपालन	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	18.81
41.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2404	डेयरी विकास	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	116.35
42.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	13.83
43.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	182.95

अनुबंध-क-क्रमशः
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)
महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला
विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से	को		(₹ करोड़ में)	
44.	जे.आर.इ.डी.ए. के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2810	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	238.89
45.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	46.85
46.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	2852	उद्योग	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	34.43
47.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	3452	पर्यटन	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	23.12
48.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	3456	सिविल पूर्ति	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	51.99
49.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	202.21
50.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	217.74
51.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	40.00

अनुबंध-क-क्रमांत:

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवधिक समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि
		से		को	(₹ करोड़ में)	
52.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	157.40
53.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	10.34
54.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	26.20
55.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4401	फसल कृषि-कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	20.28
56.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4402	मृदा एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	206.12
57.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	118.67
58.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	10.01
59.	अन्य निधियों के पी. एल. खाता में स्थानांतरण	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधियों को जमा-120 अन्य निधियां	31.95
कुल						12,579.07

अनुबंध-ख
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (v) से संदर्भित)
पूँजी अनुभाग के अन्तर्गत वस्तु शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	विवरण	राशि
4515	01	वेतन	45.57
5054	01	वेतन	0.79
4059	07	प्रशिक्षण भत्ता	1.78
5054	08	संविदा भत्ता	0.14
4515	13	घरेलू यात्रा व्यय	0.11
4515	15	कार्यालय व्यय	0.64
4875	15	कार्यालय व्यय	1.51
5054	15	कार्यालय व्यय	0.03
4202	16	किराया, दर, कर	0.13
4515	16	किराया, दर, कर	0.13
5055	19	मुद्रण	0.09
4701	21	प्रचार, प्रसार एवं सेमिनार	0.20
5055	21	प्रचार, प्रसार एवं सेमिनार	0.57
4215	22	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.54
4515	22	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.73
4515	29	व्यवसायिक सेवा	0.67
5055	29	व्यवसायिक सेवा	3.48
4215	31	व्यवसायिक सेवा	12.41
4515	31	व्यवसायिक सेवा	7.03
4515	33	टेलीफोन	0.02
4515	34	वर्दी	0.05
4215	35	प्रशिक्षण पर व्यय	0.01
5053	35	प्रशिक्षण पर व्यय	1.75
4515	37	विद्युत शुल्क	0.02

अनुबंध-ख क्रमांत
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (v) से संदर्भित)
पूँजी अनुभाग के अन्तर्गत वस्तु शीर्षवार व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष	विवरण	राशि
4220	41	मोटर वाहन	10.20
4515	42	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	0.32
5054	42	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	0.01
4215	43	अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)	0.10
4217	48	अंशदान	40.00
4404	48	अंशदान	3.00
4425	48	अंशदान	2.04
4885	48	अंशदान	1.00
5075	48	अंशदान	5.00
4225	49	आर्थिक सहायता	12.76
4701	49	आर्थिक सहायता	5.05
5055	51	मुआवजा	0.02
4215	59	अन्य व्यय	33.47
4225	59	अन्य व्यय	10.06
4515	59	अन्य व्यय	328.00
4701	59	अन्य व्यय	3.02
4702	59	अन्य व्यय	0.88
5452	59	अन्य व्यय	3.00
5054	76	अनुरक्षण एवं मरम्मति	178.01
4202	81	सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ	0.07
		योग	714.41

अनुबंध-ग
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (ii) से संदर्भित)
“800 अन्य व्यय” के रूप में वर्गीकृत व्ययों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल व्यय	कुल व्यय पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
1.	2053	जिला प्रशासन	129.08	470.56	27.43
2.	2801	ऊर्जा	846.05	4,291.22	19.72
3.	4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	32.32	56.01	57.70
4.	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	0.72	27.78
5.	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	258.89	642.69	40.28
6.	6801	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	700.00	1,760.67	39.76
		योग	1,966.54	7,221.87	

टिप्पणी : वर्ष के दौरान 12 मुख्य शीर्षों में “अन्य व्यय” के अन्तर्गत ₹2,006.67 करोड़ दर्ज किया गया है। “800 अन्य व्यय” के अन्तर्गत दर्ज 10 प्रतिशत से अधिक के कुल व्ययों को इस अनुबंध में दिखाया गया है।

अनुबंध-घ
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (ii) से संदर्भित)
“800 अन्य प्राप्तियाँ” के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
1.	0023	होटल प्राप्ति कर	0.01	0.01	100
2.	0029	भू-राजस्व	46.86	156.01	30
3.	0041	वाहनों पर कर	312.89	778.37	40
4.	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	0.11	0.11	100
5.	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	86.83	168.86	51
6.	0051	लोक सेवा आयोग	0.64	5.96	11
7.	0056	जेल	1.91	6.32	30
8.	0058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	4.31	4.31	100
9.	0059	लोक निर्माण कार्य	14.18	14.30	99
10.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	29.45	218.16	14
11.	0071	पेंशन हेतु अंशदान तथा वापसियाँ	2.58	4.77	54
12.	0075	विविध सामान्य सेवाएँ	12.04	79.41	15
13.	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	2.79	19.46	14
14.	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11.58	14.22	81
15.	0211	परिवार कल्याण	0.01	0.01	100
16.	0215	पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता	12.17	77.09	16
17.	0220	सूचना तथा प्रसार	0.63	0.63	100
18.	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	15.05	135.78	11
19.	0250	अन्य सामाजिक सेवा	77.93	191.83	41
20.	0401	कृषि कार्य	63.90	166.19	38
21.	0403	पशुपालन	5.17	10.57	49
22.	0404	डेयरी विकास	3.32	3.32	100
23.	0406	वानिकी तथा वन्य जीवन	4.12	4.44	93

अनुबंध-घ-क्रमांत
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 2 (ii) से संदर्भित)
“800 अन्य प्राप्तियाँ” के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
24.	0425	सहकारिता	1.81	2.37	76
25.	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.46	1.06	43
26.	0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	30.47	83.40	37
27.	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.01	0.01	100
28.	0701	मध्यम सिंचाई	142.69	142.69	100
29.	0702	लघु सिंचाई	3.24	4.63	70
30.	0801	ऊर्जा	5.61	5.61	100
31.	0852	उद्योग	1.13	1.14	99
32.	1054	सड़क तथा सेतु	62.24	73.37	85
33.	1055	सड़क परिवहन	0.01	0.01	100
34.	1452	पर्यटन	0.93	1.07	87
35.	1456	असैनिक आपूर्ति	14.54	14.67	99
36.	4000	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	25.09	25.09	100
		कुल	996.71	2,415.25	

टिप्पणी : वर्ष के दौरान 49 मुख्य शीर्षों में “अन्य प्राप्तियाँ” के अन्तर्गत ₹1,107.08 करोड़ दर्ज किया गया है। “800 अन्य प्राप्तियाँ” के अन्तर्गत दर्ज 10 प्रतिशत से अधिक के कुल प्राप्तियों को इस अनुबंध में दिखाया गया है।

अनुबंध-ड
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (ix) से संदर्भित)
उचंत एवं प्रेषण शेष

(₹ करोड़ में)

8658-उचंत लेखा						
लघु शीर्ष का नाम	2015-2016		2016-17		2017-18	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101 वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	19.10	0.00	46.06	24.77	70.90	45.38
निवल	नामे 19.10		नामे 21.29		नामे 25.52	
102 उचंत लेखा (सिविल)	6.72	5.76	160.19	11.59	196.54	17.27
निवल	नामे 0.96		नामे 148.60		नामे 179.27	
109 रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-)0.86	(-)0.07	(-)0.33	(-)0.26	(-)0.76	(-)0.27
निवल	नामे 0.79		नामे (-) 0.07		नामे (-)0.49	
110 रिजर्व बैंक उचंत (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	0.55	0.00	0.00	220.18	0.00	0.51
निवल	नामे 0.55		जमा 220.18		जमा 0.51	
112 स्रोत पर कर कटौती	121.89	264.65	272.17	314.61	731.86	804.43
निवल	जमा 142.76		जमा 42.44		जमा 72.57	
123 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का समूह बीमा	0.51	0.03	0.78	0.06	1.01	0.09
निवल	नामे 0.48		नामे 0.72		नामे 0.92	
8782-उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन						
102 लोक निर्माण प्रेषण	7,782.79	7,783.86	16,750.50	16,721.19	26,822.84	26,889.20
निवल	जमा 1.07		नामे 29.31		जमा 66.36	
103 वन प्रेषण	241.33	241.21	583.85	584.50	974.89	975.36
निवल	नामे 0.12		जमा 0.65		जमा 0.47	

अनुबंध-च
लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (xi) से संदर्भित)
व्यय का प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	2017-18 के दौरान व्यय	मार्च 2018 में व्यय	व्यय का प्रतिशत
1.	2205	19.16	10.48	55
2.	2402	113.15	69.30	61
3.	2810	238.89	122.00	51
4.	2852	132.97	82.48	62
5.	4055	371.97	213.62	57
6.	4235	16.53	16.35	99
7.	4250	33.39	32.79	98
8.	4401	36.55	36.55	100
9.	4402	299.16	254.25	85
10.	4404	11.05	6.63	60
11.	4425	181.12	169.10	93
12.	4875	9.50	8.00	84
13.	4885	6.00	6.00	100
14.	5452	71.00	38.08	54

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2018
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in